years perhaps long runways may become obsolete and planes can come straight down. If we give up a place like Safdarjang and use it for something else, we may lose it for ever. I fully appreciate the hon. Member's appehensions ; consistent with safety we shall do what we can. I am now considering whether the DC operation should continue from here or not.........(*Interruptions*)

12.50 hrs.

LABOUR PROVIDENT FUND LAWS (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 and the Employees' Provident Funds Act, 1952.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : क्या सरकार इस विधेयक को पास कराने का ख्याल नहीं रखती ? क्या सरकार का मकसद इसको केवल मात्र इंट्रोड्यूस करने का है ? आपने इस पर राष्ट्रपति की अनुमति 171(1) में ली है।

मंत्री महोदय कहेंगे कि अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति लेने की स्टेज बाद में आयेगी । लेकिन प्रश्न यह है कि इस विधेयक को कनसिडर करने और पास करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति क्यों नहीं ले ली गई है। इससे यह मालूम होता है कि सरकार का मकसद है कि सिर्फ इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने का है । हो सकता है कि बाद में सरकार इस विधेयक को ड्राप कर दे। कोलमाइन्ज़ के प्राविडेंट फंड की प्राबलम को सरकार सीरियसली हैंडल नहीं करती है, बल्कि वह टिकरिंग विद दि प्राबलम कर रही है। क्या वजह है कि सरकार ने अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली है ? अच्छा होता कि सरकार अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति की अनुमति ले लेती और तब इस विधेयक को इन्ट्रोड्यूस करती। सरकार ने ऐसा नहीं किया है, यही मेरी आपत्ति है।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमारा इरादा इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करने का है। हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं और ज्यों ही समय मिलेगा, हम इसको तुरन्त पास करना चाहते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 and the Employees' Provident Funds Act, 1952."

The motion was adopted.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Sir, I introduce† the Bill.

12.55 hrs.

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL—*contd.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : Sir, I was speaking the other day about the main points of this Bill.

There are in the country today about 50,000 institutionally trained practitioners of Indian medicine as against 1,40,000 registered practitioners who have not undergone institutional training. One of the important functions of the Indian Medicine Central

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 7-12-1970.

†Introduced with the recommendation of the President.

[Shri B.S. Murthy]

Council relates to the laying down of minimum standards of education, uniform curricula and syllabi, facilities including hospital facilities in teaching institutions and recognition on an all-India basis of the degree or diploma in Indian medicine awarded by various State Councils and University Faculties. Having regard to these, the Rajya Sabha considered that non-instituttonally qualified practitioners will not be able to discharge these functions, and therefore, restricted eligibility for election to the Central Council to only persons who possess any of the medical qualifications included in the Second, Third or Fourth Schedules......... *(Interruptions)*. Honourable Members will observe that, under clause 3(1)(a) of the Bill, all persons who are enrolled on a State Register of Indian medicine will form the Electoral College to elect members to the Central Council from the particular State. The question whether restricting eligibility for membership of the Central Council to only institutionally qualified practitioners will violate article 14 of the Constitution of India has been examined. The Government is advised that denial of the right to unqualified medical practitioners to hold office in the Central Council does not contravene the provisions of article 14 of the Constitution on the ground of discrimination, since this article permits reasonable classification provided there is an intelligible differentia designed to achieve certain objects. The definite objects of this Bill being the preservations of the efficiency of the courses and period of study and practical training in Indian Systems of Medicine, this classification does not attract constitutional or legal objection.

There has been a section of the institutionally qualified practitioners of Indian medicine who have undergone training in Indian and Western (allopathic) medicine that statutory recognition should be given to integrated practitioners of Indian medicine. Integration of the different systems of Indian medicine with Western medicine remains an ideal far from achievement in the near future. In the present day ; when modern science and modern medicine have advanced tremendously, it is not possible to restrict any scheme of education in Indian medicine to only what has been provided in the ancient classical literature of the Indian systems of medicine. A provision has, therefore, been made by the Rajya Sabha to provide for the supplementation of Indian medicine by modern advances to the extent considered necessary by the Central Council for an intelligent understanding and practical application of the principles and theories of these sytems of Indian medicine. This is being given effect to by the definition of the term "Indian Medicine" in clause 2(1)(e) of the Bill.

Another important change made by the Rajya Sabha relates to the existing rights and privileges of practitioners who are enrolled on a State Register of Indian medicine. It had been urged that in many States practitioners of Indian medicine who have undergone the concurrent course of training in Indian and Western medicine are declared as registered medical practitioners under the Drugs and Cosmetic Rules, 1940 to enable them to practise modern drugs and medicaments. In view of this, clause 17(3)(b) has been amended by the Rajya Sabha to protect the privileges, including the right to practise any system of medicine, conferred by or under any law relating to registration of practitioners of Indian medicine in force in any State on the commencement of this Act.

I am sure Honourable Members will concur in the Indian Medicine Central Council Bill, 1970, as passed by the Rajya Sabha, so as to enable the Central Government to constitute at a very early date a Central Council for Indian Medicine which will give full scope for the profession to determine their future. With these words I move that the Indian Medicine Central Council Bill, 1970, to provide for the constitution of a Central Council of Indian Medicine and the maintenance of a Central Register of Indian Medicine and for matters connected therewith be taken into consideration.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provide for the Constitution of a Central Council of Indian Medicine and the maintenance of a Central Register of Indian Medicine and

for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now, the time has been fixed. But a number of Members want to speak on this Bill. They want more time. I think it is a very important Bill. A little margin this way or that way may be ignored. Of course, Shri Shiv Sharma is a very distinguished authority on this and I have allotted him more time. Dr. Govind Das.

13.00 hrs.

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को राज्य सभा से स्वीकृत करा कर यहां पर लाई।...

अध्यक्ष महोदय : अब आप लंच के बाद जारी रखें।

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : Dr. Govind Das.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I want to make one submission.**

सभापति महोदय : आप किसी रूल को आब्जर्व कीजिए, यह नहीं होना चाहिए कि हर वक्त किसी भी चीज को उठाया जा सके, पहले 12 बजे उठायेंगे, फिर इस वक्त उठायेंगे—ऐसा नहीं होना चाहिए, मेहरबानी करके इस वक्त न उठायें।...

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप की इजाजत मांग रहा हूं।

सभापति महोदय : हम किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : **

MR. CHAIRMAN : That will not go on record. After 2.0'clock no question will be raised henceforth.

डा० गोविन्द दास : सभापति जी, इस विधेयक के समर्थन में मैंने अपना भाषण आरम्भ ही किया था और केवल एक वाक्य ही बोला था, तभी यह सदन भोजन के लिए उठ गया। उस वाक्य में मैंने सरकार को इस बात के लिए बधाई दी थी कि उसने इस प्रकार का विधेयक राज्य सभा से स्वीकृत करा कर यहां भी पेश किया है। तो सवसे पहले तो सरकार बधाई की पात्र है, उसके बाद मैं वैद्यराज शिव शर्मा जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इस सदन में प्रवेश किया, उस उद्देश्य में वे बहुत दूर तक सफल हो गए हैं। इसके बाद मेरा यह निवेदन है कि जो विधेयक अभी आया है, वह इसके पूर्व आजाना चाहिए था। इस देश की संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाली बातों को न जाने क्यों हमारी राष्ट्रीय सरकार हमेशा झिझक कर दूर रखती रही है। हिन्दी का प्रश्न भी एक ऐसा ही प्रश्न है। संविधान सभा में हिन्दी को राज्य भाषा बनाया गया था सर्व-मत से और यह निश्चय किया था कि 15 वर्ष के भीतर हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले

**Not recorded.

[डा० गोविन्द दास]

लेगी, लेकिन वह नहीं हुआ। स्वराज्य के पहले हमने इस देश की जनता को हमारे नेताओं ने, हमने, सबने बारबार इस बात का आश्वासन दिया था कि स्वराज्य होते ही इस देश में गो-हत्या बिल्कुल बन्द कर दी जायेगी, वह भी नहीं हुआ और बड़ी कठिनाई से अब यह विधेयक आया—22-23 वर्षों के निरन्तर प्रयत्नों के बाद।

अब मेरा इस सदन से सबसे पहले यह निवेदन है कि इस विधेयक को बिना किसी प्रकार के संशोधन के, बिना किसी प्रकार के सुधार के इसी रूप में स्वीकृत करे। अगर यह नहीं हुआ और यहां पर कुछ संशोधन हुए, कुछ सुधार हुए तो यह विधेयक पुनः राज्य सभा में जायेगा, और इसके बाद पुनः यहां आते-आते इतना समय लग जायेगा कि आम चुनाव आ जायेंगे और फिर न जाने कब यह विधेयक स्वीकृत होगा। इसलिए जो लोग आयुर्वेद में, इस देश की चिकित्सा पद्धति में दिलचस्पी रखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर बहस चाहे कितनी ही करें लेकिन इस विधेयक को बिना किसी संशोधन के, बिना किसी सुधार के, इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा पूजक रहा हूं। भारतीय संस्कृति, समन्वय-कारी संस्कृति, सहिष्णुतावादी संस्कृति रही है और उसने सदा ही, जो नयी-नयी बातें आई हैं उनको स्वीकार किया है। हम अपने यहां की चिकित्सा प्रणाली को देखें क्या आप समझते हैं कि यह चिकित्सा प्रणाली वैसी की वैसी है जैसी महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट्ट ने निर्मित की थी ? ऐसा नहीं है। इन लोगों के आने के बाद यूनानी पद्धति यहां पर आई। हमने यूनानी पद्धति को भी स्वीकार किया। यदि राजाश्रय हमारे आयुर्वेद को होता तो आधुनिक काल के जो शल्य प्रयोग हैं या दूसरी चीजें हैं उनको भी हम स्वीकार करते लेकिन खेद की बात है कि एक हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी सरकार ने इस पद्धति को कोई भी राजाश्रय नहीं दिया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में अधिकतर चिकित्सा आयुर्वेद पद्धति से ही होती है। सौ में से 80 प्रतिशत लोग गांवों में ही रहते हैं। कितने ऐसे गांव हैं जहां पर एलोपैथिक डाक्टर हैं ? किन्तु ज्यादातर ऐसे गांव हैं जहां कोई न कोई वैद्य तो रहता ही है। तो बिना किसी राजाश्रय के हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली आज भी इस देश में चल रही है। आज आवश्यकता है कि इसको हम राजाश्रय दें। और जैसा मैंने निवेदन किया बहुत पहले ही यह बात हो जानी चाहिए थी।

सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा मैं एक छोटा सा भारतीय संस्कृति का पूजक हूं। संसार की चार संस्कृतियां सबसे पुरानी हैं—भारत की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, चीन की संस्कृति और यूनान की संस्कृति। संसार के प्रायः सभी देशों को मैंने देखा है—मैंने मिस्र को देखा है, चीन को देखा है, यूनान को देखा है। आप आज यदि उन देशों में जा कर उनके आज के जीवन में उनकी पुरानी संस्कृति के दर्शन करना चाहें तो वह दर्शन आपको नहीं होंगे। उनकी पुरानी संस्कृति या तो खंडहरों में दिखाई देती है या अजायबघरों में दिखाई देती है। मात्र भारत ही एक ऐसा देश है, इस संसार का, जिसके जीवन में हमें आज भी भारतीय संस्कृति की परम्परा दिखाई देती है। हमारे यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है—

पदे पदेयन ़नवताम उपैती
तदेव रूपम रमणीय ताय:

हमने हर नयी चीज को रमणीय समझ कर ग्रहण किया है। आयुर्वेद भी हमारी संस्कृति का एक अंग है। हमारे यहां एक दूसरी उक्ति भी है—शरीर माद्यम खलु धर्म साधनम्। शरीर ही समस्त धर्मों का एकमात्र साधन है। इसीलिए—हमने आयुर्वेद को और शरीर को प्रधान स्थान दिया है। कहा जाता है कि हमने सदा आकाश की ओर देखा है,

जमीन की ओर नहीं देखा। यह गलत बात है। हमने आकाश और जमीन दोनों की ओर देखा है। हमारे जो 6 दर्शन हैं उनमें एक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में दो शब्द आये हैं—एक तो अभ्युदय और दूसरा निःश्रेयस। इन दोनों शब्दों की उस दर्शन में बड़ी लम्बी व्याख्या की गई है। अभ्युदय से अर्थ है सांसारिक बातों का उत्कर्ष और निःश्रेयस से अर्थ है पारलौकिक चीजों का उत्कर्ष। तो आयुर्वेद को भी हमने अपनी संस्कृति का एक प्रधान अंग बनाया और कहा, जैसा कि मैंने निवेदन किया—शरीर माद्यम खलु धर्म साधनम्।

एक बड़ी विचित्र बात आप देखेंगे कि हमने यह भी कहा है कि मनुष्य शरीर की आवश्यकता इसलिए भी है, कि मनुष्य के शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। चूंकि ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य के शरीर से हो सकती है इसलिए आयुर्वेद की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं क्या संसार की किसी भी संस्कृति में इस प्रकार का वर्णन है? कहीं भी नहीं है कि हमको मनुष्य शरीर की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह हमारा आदर्श रहा है और इस दृष्टि से देखें तो हमें मालूम होता है कि शरीर की ओर भी हमने कितना ध्यान दिया है। आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं—चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट्ट है—उनका हम यदि अध्ययन करें तो मालूम होगा कि आज भी, उनमें जो बातें कही गई हैं, उनकी बड़ी भारी कीमत है।

सारा सवाल यह है कि हमको इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए? क्या हम आयुर्वेद को इसी प्रकार छोड़ दें जिस प्रकार आयुर्वेद आज चल रहा है? इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। विज्ञान तब तक ही विज्ञान रहता है जब तक कि उसमें विकास, खोज और दूसरी चीजें होती रहती हैं। जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया कि यदि इस चिकित्सा प्रणाली को राजाश्रय होता तो आयुर्वेद को भी हम उसी प्रकार का देखते जिस प्रकार आज हम एलोपैथी को देख रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस अवस्था में आयुर्वेद एलोपैथी से कहीं अधिक आगे बढ़ा होता क्योंकि हर देश में वहां की आबहवा, वहां की स्थिति सदृश ही चिकित्सा प्रणाली होनी चाहिए। हमारी आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जोकि देश के वातावरण और देश की संस्कृति के अनुकूल है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक संस्कृति का प्रेमी होने के नाते, कि आयुर्वेद भी हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अंश है और यह जो विधेयक आया है वह बहुत विलम्ब से आया है। इसलिए अब हम इस विधेयक को बिना किसी संशोधन के या बिना किसी सुधार के स्वीकार करें ताकि यह कार्य आगे बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार इस सरकार को और पं० शिव शर्मा जी को बधाई देते हुए इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। इतना अवश्य है कि इस विधेयक में बहुत से सुधार हो सकते हैं और आगे चलकर हमें बहुत से सुधार करने भी होंगे लेकिन कम से कम आज इसमें कोई सुधार का प्रयत्न न करते हुए इसी रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए।

श्री शिव शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने इस बिल का थोड़ा सा इतिहास रखना चाहता हूं। आज्ञा हो तो उर्दू के एक शेर से ही शुरू करूं :

तुम पर भी मरते मुझ को बरसों गुज़र गए हैं
इस तूल दास्तां को, इस मुख्तसिर को देखते।

भारतवर्ष को स्वतन्त्र हुए 25 वर्ष, एक शताब्दी का एक चौथाई हिस्सा हो गया है। एक बड़ी तपस्या के बाद आज यह आयुर्वेदिक बिल इस सदन के सामने आया है। राज्य सभा में यह पास हो गया है। आयुर्वेद के साथ क्या होता रहा है, यदि इसका इतिहास ध्यान में हो तो यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि यदि कोई भी कारण विलम्ब होने का हमने उपस्थित

[श्री शिव शर्मा]

कर दिया तो फिर 25 वर्ष और लग सकते हैं, एक पूरी आयु लग सकती है और शायद इतना विलम्ब भी हो सकता है कि हम में से बहुत से इस संसार में भी ना हों। किसी दूसरी दुनियां में हों, चाहे वह परलोक का गर्म भाग हो या सर्द भाग, और शायद वहां टेलिविजन भी न हों और यहां की खबरें भी न पहुंचती हों। तो यह एक ऐसा अवसर हम लोगों के हाथ में आया है जिसको यदि हमने आज ही हाथ में नहीं ले लिया तो फिर आना शायद कठिन हो जाए।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो भी संशोधन आये हैं उनके पीछे देश का, और शास्त्र का भी शुभ-चिन्तन है। मैं इस प्रकार का सन्देह नहीं करूंगा कि कोई आयुर्वेद की उन्नति होते नहीं देखना चाहता, परन्तु उन संशोधन का प्रभाव इतना घातक हो सकता है जिसका ठिकाना नहीं है, एक छोटे से सुधार का भी, क्योंकि वह फिर राज्य सभा में जायेगा और फिर विलम्ब होगा। सुधार तो सदा ही हो सकते हैं। हमेशा उन्नति का मार्ग खुला रहता है। आपके संविधान को बड़े महापुरुषों ने बनाया था, लेकिन उसमें निरन्तर सुधार होते रहते हैं। इसलिए सुधार का तो कोई भय नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकेगा। भय तो इसी बात का है और हमेशा आयुर्वेद का यह दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी उसके हित में कुछ होने लगा तभी कोई अड़ंगा लग गया और वह आगे नहीं चल सका।

अधिकांश संशोधनों की ओर मैं इसलिए पहले थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फिर इसके बाद शायद मुझे कुछ कहने का अवसर न मिले। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि चार वर्षों में मैंने केवल दो भाषण यहां पर दिये हैं और यह तीसरा तथा अगर आपने कृपा करके इस बिल को पास कर दिया, तो अन्तिम भाषण होगा, मैं किसी और विषय की चर्चा में इसलिए भाग नहीं लेता कि जब कभी वे सज्जन जो आयुर्वेद की समस्यायें नहीं समझते और बहुत जोर से इस प्रकार से बोलते हैं कि वह मुझ से ज्यादा समझते हैं तो उस वक्त मेरे हृदय में यह बात आती है कि यदि मैं अन्य विषयों पर बोलूं तो मेरे विषय में वे भी समझेंगे कि यह फाइनेंस पर बोल रहा है, लेकिन यह फाइनेंस के बारे में क्या जानता है। शायद फाइनेंस को लेकर मेरे विषय में उनका सच्चा आक्षेप होगा। यह सौजन्य, यह कंसेशन मैं उनसे मांगता हूं कि वह समझें कि जिस तरह से मैंने आयुर्वेद की सेवा करने और रक्षा करने का प्रयत्न किया है उसमें वह मेरे पूरे सहायक हों।

कुछ घटनायें हुई हैं आयुर्वेद के सम्बन्ध में, जिनको मैं पहले आप के सामने रख दूं। 1938 में जब पहली कांग्रेस सरकार बम्बई में बनी तब एक बिल डा० गिल्डर ने आयुर्वेदिक शिक्षा सम्बन्ध में बम्बई में पास कराया। उसमें वैद्यों का कोई विशेष हाथ नहीं रहा। उस समय आल इण्डिया आयुर्वेदिक कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बम्बई में हुआ। श्री बालासाहब खेर ने, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसका उद्घाटन किया था। मैं आयुर्वेद की शिक्षा के सम्बन्ध में इसलिए इतिहास दे रहा हूं कि आपको पहले से ज्ञात रहे कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। जिन लोगों को परिस्थिति का ज्ञान है, फिर भी वह किसी कारण से विरोध करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जिनको वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान नहीं है और मैं उनके हृदय आयुर्वेद के प्रति शुभ-चिन्तन है, वह मार्ग से इधर-उधर न हो जायें उनकी केवल सूचना मात्र के लिए मैं यह इतिहास दे रहा हूं ताकि वह निर्णय करते समय परिस्थिति को ठीक रूप से समझ लें। उस समय मैं महा-सम्मेलन का अध्यक्ष था और श्री बालासाहब खेर ने उसका उद्घाटन किया था। उनके साथ श्री के० एम० मुंशी, श्री मोरारजी देसाई और डा० गिल्डर भी उपस्थित थे। उन दिनों उस बिल पर डा० गिल्डर विचार कर रहे थे, मुझ से कहा कि

रात में बैठ कर उनके साथ उस बिल पर विचार कर लिया जाये । उनके बगल पर उस रात जो लोग बैठे उनमें स्वर्गीय कविराज गणनाथ सेन, जो बड़े भारी डाक्टर और वैद्य थे कलकत्ते के और मेरे साथ सह-सभापति थे एक अंश में महा-सम्मेलन के, स्वर्गीय यादव त्रीकम जी आचार्य और मैं थे । मैंने उस रात बैठकर उनके साथ विचार किया । मेरे भाषण में भी आप देखेंगे—जितनी बार मुझे आयुर्वेद शिक्षा के सम्बन्ध में बोलना पड़ा उसके अंश वितरित भी किये गये—जो बात मैंने सम्मेलन में कही थी वही डाक्टर गिल्डर से कही कि जो ढंग आपने अपनाया उससे जो स्नातक निकलेंगे वह आयुर्वेद चिकित्सा नहीं करेंगे । यह बात पीछे की है कि उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा नहीं की । यह बात इससे भी पीछे की है कि जब मुझे आग्रह और प्रयत्न करना पड़ा कि बम्बई में वैद्यों को भी आयुर्वेद के संबंध में कुछ अधिकार मिले, नहीं तो जिस समय में लाहौर से पार्टिशन के बाद बम्बई गया तो एक विचित्र दृश्य हमारे सामने था । स्टेट फैकल्टी आफ आयुर्वेद तो नाम था लेकिन उसके अध्यक्ष वहीं के प्रसिद्ध और योग्य डाक्टर डा० बी० वी० योध थे, और आयुर्वेद रिसर्च ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष भी वहां के सुयोग्य डा० म्हस्कर थे । मैंने वहां पूछा कि क्या कोई वैद्य नहीं है इन आयुर्वेद संस्थाओं के ऊपर ?

इस तरह की चीजें हैं जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । एक तो यह कि जिस इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने आयुर्वेद के भविष्य का निर्णय अपने सदस्यों के हाथों में लिया, उसने जो प्रस्ताव पास किये वह भी आपको बतला दूं । यह इण्डियन मेडिकल ऐसोसिएशन की वर्किंग कमेटी की 68वीं मीटिंग का रेजोल्यूशन है ?

Practitioner practising other than modern medicine should not be allowed to use the term 'physician' which should be the sole privilege of practitioner of modern medicine.

मुझे उनके साथ लड़ाई नहीं इस प्रस्ताव पर यदि वह हम लोगों को सच-मुच ठग समझते हैं, अयोग्य समझते हैं, तो उनका कर्त्तव्य है कि वह जनता की रक्षा के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पास करें । इससे मुझे विरोध नहीं । उनका अधिकार है कि ऐसा प्रस्ताव पास करें । उनके प्रेजिडेंट डा० शिवपुरी ने अपने प्रेजिडेंशल ऐड्रेस में 26वीं आल इण्डिया मेडिकल कांफरेंस में जो कहा उसके शब्द भी यह थे :

Our parliamentarians and legislators are always harping on Ayurved and homoeopathy. I suggest that they should compulsorily be treated by Ayurvedic and homoeopathic methods and no modern aid be allowed to them at Government expense.

यह उनकी भावनायें मैं आप को बतला रहा हूं । इस प्रकार के कई प्रस्ताव हैं जिन में बराबर मांग रही है कि आयुर्वेद का बिस्तर गोल कर दिया जाये । मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं इसके विरुद्ध भी कुछ नहीं कह रहा हूं । इस तरह कहना उनका अधिकार है । वह शायद सच हो सकते हैं । हम लोग ठग हो सकते हैं यह भी सम्भव है, लेकिन इस का किसी ने परीक्षण नहीं किया । परन्तु जब वे आयुर्वेद का सर्वथा सर्वनाश मांगते हैं और कहते हैं कि उसमें जो कुछ गुण थे उनको प्राप्त कर चुके हैं, और फिर उसके बाद भी आयुर्वेद के भविष्य के निर्माण के लिये चेयरमैन और प्रेजिडेंट के रूप में इन आयुर्वेदिक समितियों तथा परिषदों को अपने हाथ में ले लेते हैं इस पर मुझे जरूर ऐतराज है । मैंने अपने स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर से भी कहा था और उनकी सुपुत्री से भी बाद में पूछा कि इतिहास आपके सामने है । संसार के किसी साहित्य से मुझ को कोई उदाहरण बतलायें जहां लोगों का ऐसा विज्ञान नाशक सर्व-सम्मत प्रस्ताव हो और जो लोग उस विज्ञान को खत्म करना चाहते हों उनको उसका भविष्य सम्भाल दिया जाये । यह विचित्र व्यवहार केवल आयुर्वेद के साथ ही हुआ है । मैं आपके सामने

[श्री शिव शर्मा]

कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिनका जोड़ संसार में कहीं नहीं मिलता । अगर कहीं कोई उदाहरण मिलता है तो वह केवल आयुर्वेद के सम्बन्ध में ही। सम्भव है कि बाद में थोड़े बहुत वैद्यों का भी आयुर्वेद सम्बन्धी शासन में कुछ हाथ रहा हो। लेकिन मैं यह एक और घटना रेकार्ड पर लाना चाहता हूं ।

श्री नन्दा अभी जीवित हैं । ईश्वर उनको दीर्घायु करे । अगर मैं यह बात आज न कहूं तो शायद कल लोग कहेंगे कि मैंने बात बना दी क्योंकि उसकी पुष्टि श्री नन्दा जी के अभाव में नहीं की जा सकती। एक बार उन्होंने डाक्टरों से एक बात पूछी कि एक तरफ तो आप चेयरमैन और मालिक बने बैठे हैं आयुर्वेद के भविष्य के निर्माण के और विद्यार्थी जो निकल रहे हैं वह कहते हैं कि हम आयुर्वेद को बेकार समझते हैं, हमें एम० बी० बी० एस० बनाओ । मैंने आपसे कहा कि आयुर्वेद के सम्बन्ध में ही ऐसा हुआ है जिसका इतिहास में प्रमाण नहीं है, केवल आयुर्वेद के ही स्नातक इस प्रकार के निकले जो आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करते । वे निकलते ही मांग करते हैं कि हमें कंडेन्स्ड कोर्स दो दूसरे विज्ञान का । मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा । संगीत में भी नहीं देखा कि कोई यह कहे कि मैं संगीत का अध्ययन करूंगा, संगीत विद्यालय में पढ़ूंगा लेकिन व्यवहार में गाऊंगा नहीं, नाच करूंगा । किसी फिजिसिस्ट ने उतना अपमान फिजिक्स का नहीं किया जितना की आयुर्वेद के विद्यार्थियों ने आयुर्वेद का किया है । इस प्रसंग में नन्दा जी ने पूछा कि आप कैसे स्नातक निकाल रहे हैं ? डाक्टरों का उत्तर यह था कि आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद में कुछ रहा तो नहीं, जितना कुछ उपयोगी अंश था वह हमने ले ही लिया है और वह आत्मसात हो गया है डाक्टरी में । हमने क्योरेयर ले लिया है रैड इण्डियन से, सर्प गंधा ले लिया है आयुर्वेद से । एलोपैथी में सब कुछ समा रहा है। उससे बढ़ कर और क्या इंटैग्रेटिड सिस्टम होगा। इण्डियन मैडिकल काउंसिल के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्री सी० एस० पटेल ने भी एक पत्र सरकार को लिखा था (जोकि अखबारों में भी छपा था) जिसमें उन्होंने यह कहा था कि आयुर्वेद को अब खत्म कर देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रह गया है । इस आधार पर डाक्टर महोदयों ने नन्दा जी को उत्तर दिया कि यदि हम सीधा कहते हैं तो लोग चिल्लाते हैं क्योंकि भारत के लोग धर्मावलम्बी हैं, नो चेंजर है, अपरिवर्तनवादी हैं । इस वास्ते सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्वयं ये कालेज ही ऐलोपैथिक कालेज बन जाएं और तब इनमें से जो विद्यार्थी निकलेंगे, एलोपैथ्स निकलेंगे और तब आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रेक्टिस करने वाला कोई नहीं रह जाएगा और उस अवस्था में यह मसला बिना शोर शराबे के हल हो जाएगा । बहुत नाराज़ थे नन्दा जी जब उन्होंने मुझ से यह बात कही ।

इस पाठ्यक्रम के पीछे क्या लक्ष्य था, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं । यह जो आयुर्वेद का शिक्षण था वह किस पृष्ठभूमि में किस बैकग्राउंड में शुरू हुआ ? उसका जो नतीजा निकला, वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं । दो सौ ग्रेजुएटस निकले इस प्रकार का अध्ययन करके उड़ीसा में । आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि यह तो इतिहास की बात है । स्वास्थ्य मंत्री जी को इसके बारे में मालूम है । स्नातकों ने चिल्लाना शुरू किया कि हम आयुर्वेद की प्रेक्टिस नहीं करना चाहते, हम तो एलोपैथी की प्रेक्टिस करना चाहते हैं । सरकार तंग आ गई और उसने उनको कहा कि अच्छी बात है, तुम को हम कंडैंस्ड कोर्स दे देते हैं तुम एलोपैथी में जा सकते हो । दो सौ विद्यार्थी जब आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ते थे तब वहां के स्वास्थ्य मंत्री का विधान सभा में यह उत्तर दिया हुआ है कि इतना रुपया हम आयुर्वेदी पर खर्च कर रहे हैं । अब उन दो सौ में से 198 ने कंडैंस्ड कोर्स ले लिया और आज उनके नाम मैडीकल रजिस्टर में दर्ज हैं । उनपर रुपया आयुर्वेद का खर्च हुआ था जबकि वे आज

एलोपैथी की प्रेक्टिस कर रहे हैं। केवल दो रह गए हैं उन में से। एक तो वह हैं जोकि गवर्नमेंट आफ इंडिया में इस समय डिप्टी डायरेक्टर सैंट्रल काउंसिल आफ आयुर्वेदिक रिसर्च हैं और एक बेचारा और रह गया है। जितने आयुर्वेद के लिए फंड थे, वे कहां पहुंच गए।

अभी डाक्टर जकरिया कमेटी बनी महाराष्ट्र में। मैं भी उसका सदस्य था। जिन स्नातकों ने ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी के सामने यह बात कही थी कि हम आयुर्वेद के परम शुभ चिन्तक हैं, हम इसको आधुनिक विज्ञान बना देना चाहते हैं, हमारे लिए अलग काउंसिल होनी चाहिए, उन्होंने वहां क्या कहा इसको भी आप सुन लें। डा० एन० एन० कैलाश आयुर्वेद के बड़े शुभ चिन्तक हैं, मेरे साथ भी बड़ा स्नेह रखते हैं, और उन्होंने आयुर्वेद की बड़ी सेवा की है और कहा है कि आयुर्वेद की हम रक्षा चाहते हैं, उन्होंने हम लोग जो पुराने जमाने के वैद्य हैं, उनके बारे में कहा कि वे क्वैक्स हैं, अवैधानिक वैद्य हैं। यह बात उन्होंने मेरे लिए तो नहीं कही लेकिन उन लोगों के लिए कही जिन लोगों को संस्थायें पहले प्राप्त नहीं थीं जिन्होंने अपने गुरुओं से शिक्षा पाई और उनके साथ रोगियों के घरों में जा कर रोगियों को देख देख कर अभ्यास किया, जिन के पास बौटेनिकल गार्डन तो नहीं थे लेकिन जिन्होंने गुरुओं के साथ जंगलों में जा जा कर जड़ी बूटियों की पहचान की। उनके मन में ये लोग इस योग्य नहीं हैं कि आयुर्वेद की रक्षा कर सकें। चाहे आयुर्वेद की रक्षा इन ने की हो।

अस्तु, जो उनके अनुसार आयुर्वेद में श्रद्धा रखते थे वे एक एक करके आते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि मैं तो एलोपैथ बनना चाहता हूं। तब सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ कि उन लोगों को सन्तोष देने के लिए एक कंडैंस्ड कोर्स एम० बी० बी० एस० का बना दिया जाए। आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा। तब भी श्री शान्ति लाल शाह जोकि पक्षपाती हैं आयुर्वेद के, उनके शब्द थे : "They should be only on the Ayurvedic register. There should be no other register." ये उनके शब्द हैं। लेकिन वे सब स्नातक आयुर्वेद के निकल गए।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सब ही मिनिस्टर्ज, सब शासक या सब नेता इस प्रकार के नहीं थे जो इसको आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम समझ लें। श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री मोरारजी देसाई, वर्तमान दोनों मंत्री, श्री के० के० शाह और श्री मूर्ति, ये आयुर्वेद के स्वरूप को समझते हैं। मैं तो नई कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। मैं गवनिंग पार्टी का सदस्य नहीं हूं। पिछली बार जब प्रिसिस के सम्बन्ध में विवाद हुआ था तब मैंने सरकार के विरुद्ध वोट दिया था इसके बावजूद कि कभी आयुर्वेद से इतर किसी विषय पर मैंने वोट नहीं दिया था। इसलिए मेरे ऊपर इनकी कोई कृपा विशेष है या मुझ को इन से कुछ प्राप्त हो जाएगा, यह मैं कैसे आशा कर सकता हूं। मुझे ये कोई स्थान दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दो बिल्कुल परस्पर विरोधी भी किसी समय इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं और शासन पर परस्पर विरोधी नहीं, आपने देखा होगा जब हिटलर के साथ लड़ाई हुई तो स्टालिन और रूज़वैल्ट भी एक बन गये, चर्चिल और स्टालिन एक हो गए—

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : इन में स्टालिन और रूजवल्ट कौन हैं।

श्री शिव शर्मा : मैंने इस रूप में कहा कि अमरीका और रूस प्रायः इकट्ठे नहीं रहते थे परन्तु युद्ध में एक बन गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आयुर्वेद के साथ शासन को स्नेह है जैसा मुझे है।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Who is Stalin, who is Roosevelt ?

SHRI SHIVA SHARMA : I was merely giving an example that even people with different ideologies unite together.

[श्री शिव शर्मा]

श्री मूर्ति का अपना स्वभाव है, श्री के० के० शाह का अपना स्वभाव है। नन्दा जी और श्री मोरार जी देसाई के स्वभाव में जमीन आसमान का अन्तर है। श्री सी० पी० रामास्वामी आयर बिल्कुल दूसरी विचार प्रणाली के थे। श्री सम्पूर्णानन्द बिल्कुल दूसरी विचार प्रणाली के थे। लेकिन एक चीज आप सदा देख सकते हैं कि कितने भी उनमें व्यक्तिगत मतभेद दूसरे विषयों पर रहे हों, यदि किसी एक विषय पर वे स्नेह रखते हैं तो उस पर उनका एक दृष्टिकोण एक हो जाता है। मैंने देखा कि कोई किसी भी पार्टी का हो, किस ने वास्तव में आयुर्वेद के साथ स्नेह रखा है और किस ने नहीं, इसका पता लगाना मुश्किल नहीं है और अगर किसी की आंखें खुली हों तो वह आसानी से जान सकता है कि किस ने आयुर्वेद का पक्ष लिया है और किस ने विरोध किया है। सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है आयुर्वेद के अध्ययन के साथ। मिश्रित अध्ययन को कुछ राज्यों ने समाप्त कर दिया, इसलिए कि स्नातक तो डाक्टर बन गए। अब केवल एक आदमी के लिए ये उड़ीसा काउंसिल नहीं बना सकता है। वह एक भी जो है वह इसलिए डाक्टरी में नहीं गया कि उसका पिता वैद्य था। इट वाज इंस्पाइटआफ इंटैग्रेटिड ट्रेनिंग, नाट बिकाज़ आफ इंटैग्रेटिड ट्रेनिंग कि वह आयुर्वेद के साथ रहा।

श्री भिडे मेरे मित्र हैं। वह पूना के हैं। श्री एस० एम० जोशी उनको जानते हैं। उनकी रिपोर्ट से वह परिचित हैं। वह यहां पर आए। मैंने उन से पूछा कि डाक्टर साहब, आप तो एक स्तम्भ हैं इंटैग्रेटिड मैडीसिन के और एम० बी० बी० एस० होते के बावजूद भी आप इसका समर्थन करते हैं, आप मुझे बताइये कि क्या इंटैग्रेशन हो गया है। आप देख जाइये आदि से अन्त तक ज्वायंट सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट, आप पाएँगे कि हर एक ने यह कहा कि इंटैग्रेशन नहीं हुआ है दो सिस्टमस का। आप बुद्धिमान हैं। सिस्टम का मतलब है एक कोई कम्पैक्ट सिस्टम, सुग्रथित प्रणाली। इंटैग्रेटिड पास्ट पार्टिसिपल है। एक नई चीज बन गई है आयुर्वेद और एलोपैथी के मिश्रण से। किस प्रकार बनी उसका मैं उदाहरण देता हूँ। एक यूनिवर्सल हैल्थ इंस्टीट्यूट नामक संस्था थी। उस में मैं काम करता था। मेरे पास फर्स्ट क्लास फर्स्ट बम्बई स्टेट से, जो तब भारत की नम्बर एक स्टेट थी, और तब उसका विभाजन नहीं हुआ था, गवर्नमैंट कालेज से इंटैग्रेटिड कोर्स पास लड़का आया और आ कर कहा कि मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए अपने पास काम करने के लिए। मैंने उससे पूछा कि इस रोगी को क्या व्याधि है। उस बेचारे ने यह समझा हुआ था कि मैं आयुर्वेद ग्रेजुएट का उत्तर आयुर्वेदिक भाषा में सुनना चाहता हूँ। आयुर्वेदिक भाषा से वह अपरिचित था। उनके मैमोरेंडम आप देखिये जो बार बार उन्होंने सरकार को दिए हैं और स्वयं उन्होंने अपने फिगर्ज दिए हैं कि हम ने तो एलोपैथी ही अधिक पढ़ी है। मैंने देखा कि उसका दिमाग एलोपैथिक भाषा बोलता है। भाषायें केवल साहित्य में ही भिन्न-भिन्न नहीं होतीं विज्ञान की भी भिन्न-भिन्न भाषायें होती हैं। उसने मुझे कहा सुधा न्यूनता। आई वाज स्टम्प्ड। मैं सोच रहा था कि मैंने सारी उम्र आयुर्वेद की प्रेक्टिस की है, यह कौन सा शब्द नकल आया। लेकिन मैंने समझ लिया कि उसका दिमाग अंग्रेजी में बोलता है और उसने हिन्दी में अनुवाद कर दिया है, कैल्शियम डैफीशेंसी का। मैंने उससे पूछा, अच्छा यही समझ लो। हम तो इसको पित्त विकार समझते हैं और रक्त विकार समझते हैं और इसमें दही को अभिष्यन्दी समझ कर हम बन्द करते हैं। अगर कैलशियम डेफिशेंसी है, तब तो इस को खूब दही खिलानी चाहिए; जब तुम आयुर्वेदिक संस्था में इस का इलाज करोगे, तो क्या डाक्टरी के अनुसार खूब दही खिलाओगे या आयुर्वेद के अनुसार दही बन्द कर दोगे ? तो फ़रमाते हैं कि देखिये, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ,

मुझे तीन महीने का समय दीजिए, मैं देख लूंगा कि दही खिलानी चाहिए या नहीं। आयुर्वेद संसार में यह चीज पैदा की गई है। आप उन से किसी वक्त बात कीजिए ; जितने भी ग्रन्थों में कहीं-कहीं जो भ्रांति रह गई है, उन को उन्होंने छांट लिया है, उनकी लिस्ट उन के पास मौजूद है—यह कहने के लिए कि आयुर्वेद में तो कुछ भी नहीं है।

जायंट सिलेक्ट कमेटी में मतैक्य इस लिए हो गया कि उस में केवल 37 सदस्य थे, जिन्होंने लगभग सौ घंटे बैठ कर विभिन्न प्रकार के लोगों से गवाहियां लीं। वहां कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और दोनों कांग्रेस पार्टियों के सदस्यों का एकमत इस लिए हो गया कि वहां संदेह की कोई बात नहीं रह गई थी। इसके मुकाबले में इस सदन में संदेह की गुंजायश रह सकती है। यहां इस लिए मतभेद रहता है कि यह सदन एक बरस बैठकर और सैकड़ों घंटे लगाकर विभिन्न मिश्रित स्नातकों का वह स्वरूप नहीं देख पायेगा, जो कि कमेटी के सामने आया था। जो बात माननीय सदस्यों के कान में पड़ती है, वह उन्हें यहां पर करनी पड़ती है। यहां पर जो मिश्रित प्रणाली के समर्थक हैं, यदि उन को सूचित किया जाये कि आयुर्वेद के नाम से पैसा खर्च कर के जो चीज पैदा हुई है, उस से आयुर्वेद की उन्नति सम्भव नहीं है, तो उन्हें वास्तविकता को सभझने में देर नहीं लगेगी।

रस शास्त्र के सीनियर प्रोफेसर के लिए प्रार्थना पत्र आये तो ऊंचे दर्जे के एक स्नातक आये। हम ने उन से पूछा कि रस शास्त्र की टैक्स्ट बुक कौन सी है। रस शास्त्र के बहुत से प्राचीन ग्रन्थ पड़े हुए हैं। कई विषयों के ग्रन्थ नष्ट हो गये हैं। जैसे, अभी तक शक है कि सांख्य दर्शन असली है या नहीं। केवल सांख्य तत्व कौमदी असली है। रस शास्त्र के सौ के करीब प्राचीन ग्रन्थ हैं, जो नष्ट नहीं हुए हैं। वह सज्जन एक भी ग्रन्थ का नाम नहीं ले सके, हालांकि उन को उस विषय का सीनियर प्रोफेसर बनना था।

मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह न समझ लिया जाये कि आधुनिक विज्ञान में मेरी श्रद्धा नहीं है। वह उच्च कोटि का विज्ञान है और ऊंचे से ऊंचे डाक्टरों के साथ मेरी घनिष्ट और वास्तविक मैत्री है। उन के साथ रोगियों का आदान-प्रदान है। एफ० आर० सी० एस० और एम० डीज० को झिझक नहीं है अपने रोगी मुझे भेजते हुए और मुझे झिझक नहीं है अपने रोगी उन्हें भेजते हुए। अगर हम लोग रोगी का शुभ-चिन्तन करते हैं, तो ये विज्ञानों के भेद मिट जाते हैं। यह भी ठीक है कि यदि सत्य का स्वरूप एक है, तो क्या एलोपैथी और क्या आयुर्वेद।

परन्तु यह तो देखना चाहिए कि क्या आदमी अपने जीवन-काल में केवल ऐलोपैथी ही ग्रहण कर सकता है। इनटेग्रेशन की बात, दो विज्ञानों की बात, तो तब आती है, जब आदमी के जीवन-काल में इतना समय हो। अमरीका में डीन स्पैरी की एक पुस्तक छपी हुई है, "एथिकल बेसिस आफ मैडिकल प्रेक्टिस"। उस में वह आरम्भ ही इस प्रकार करते हैं कि एक समय था, जब एक कार्डिनल, एक बिशप, ने दुनिया में जितनी भी पुस्तकें थीं, वे सब पढ़ ली थीं और कोई भी पुस्तक पढ़ने को नहीं रह गई थी ; जब ज्यादा पुस्तकें हो गईं, तो दो कार्डिनल उन को समाप्त कर सके और आज यह हालत हो गई है कि अगर सारी दुनिया भी पढ़ना शुरू करे, तो वह सब पुस्तकों को समाप्त नहीं कर सकती।

विज्ञान भी इसी प्रकार से उन्नत होते गये हैं। पच्चीस साल पहले हावर्ड यूनिवर्सिटी में ए० से लेकर जेड० तक—एलर्जी से लेकर एनाटोमी, मिडवाइफरी और सर्जरी आदि समेत यूरालोजी तक—छब्बीस स्पेशलटीज थीं। आज यह हालत हो गई है कि अगर डा० गिन्डे से कहें कि मेरा एपेन्डिक्स निकाल दें, तो वह हाथ नहीं लगायेंगे क्योंकि वह सिर्फ न्यूरो-सर्जन है। एक सिर्फ छाती को खोलता है, वह थोरेसिक सर्जन है। ये छब्बीस स्पेशलटीज चार-चार वर्ष की हैं।

[श्री शिव शर्मा]

उन को पूरा ग्रहण करने के लिए आदमी को 104 वर्ष चाहिएँ। अगर आदमी के पास इतना समय और बुद्धि है, तो वह सिर्फ ऐलोपैथी को ही पहले पूरा करे। उसे अधूरा छोड़कर वह आयुर्वेद और ऐलोपैथी का असाध्य सम्मिश्रण करने पर क्यों समय नष्ट कर रहा है।

मैं समझता हूं कि आयुर्वेद तो पांच वर्ष से कम अवधि में पूरा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ उच्च कोटि के डाक्टर कहते हैं कि यदि पांच वर्ष से एक महीना भी कम हुआ, तो उस व्यक्ति के हाथ में रोगी सुरक्षित नहीं है, वह इस योग्य नहीं है कि ऐलीपैथी की दवा दे सके, उस के बाद भी कुछ ट्रेनिंग होती है। मैंने जायंट सिलेक्ट कमेटी में यह सवाल पूछा था कि जो व्यक्ति फर्स्ट डिविजन में न आ सके और बैकडौर से आकर तीन चार वर्ष में ऐलोपैथी और तथाकथित आयुर्वेद का अध्ययन करे, उस को इन दोनों विषयों का माहिर कैसे माना जा सकता है? जैसे दो आधे सत्य मिल कर एक सत्य नहीं बन सकता, वैसे ही दो आधे विज्ञान मिल कर एक विज्ञान नहीं बन सकता।

मैं आप को इंगलैंड का एक उदाहरण देता हूँ। नैशनल हैल्थ सर्विस के हास्पिटल में एक रोगिणी को लाया गया। जाइनीकोलोजस्टस ने कहा कि हम इस का आपरेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस का सीजेरियन (पेट चाक) करना है, इस का बच्चा पेट खोल कर ही निकल सकता है, लेकिन इस को हृदय का रोग इतना भयंकर है कि इस को क्लोरोफार्म नहीं दे सकते। एक हिप्नाटिस्ट को बुलाया गया। उस ने रोगिणी को कह दिया कि तुम्हें दर्द नहीं होगा और आपरेशन हो गया। वहां तक तो ठीक हो गया, लेकिन उस के बाद झगड़ा तब शुरू हुआ, जब हिप्नाटिस्ट ने कहा कि मैं अपनी फीस चोरी से नहीं लूंगा, मैं आफिशल फंड से लूंगा, क्योंकि मैंने हास्पिटल में आ कर हिप्नाटिज्म किया है। हिप्नाटिज्म को सरकारी फंड से पैसा नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उस के अनुसार वह एक सम्मानित चिकित्सा नहीं थी। हिप्नाटिस्ट ने धमकी दी कि मैं कोर्ट में जाता हूँ। हैल्थ मिनिस्ट्री और नैशनल हैल्थ सर्विस के अधिकारियों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि इस से तो बहुत शोर मचेगा। आखिर लक्ष्य तो एक ही था कि जनता को यह न जंचने दिया जाये कि डाक्टरी से परे कोई और भी चिकित्सा प्रणाली है। अगर उस लक्ष्य की पूर्ति सरकारी फीस दे कर हो जाये, और वह कोर्ट में न जाये, तो अच्छा है। तो उन्होंने यह निश्चय कर दिया कि उस को सरकार से ही फीस दे दी जाये। लेकिन रायटर के एक रिपोर्टर को इसका पता लग गया। उस ने सारे संसार में यह मैंजेस प्रसारित कर दिया। 'टाइम्स आफ इंडिया' ने भी यह हैडिंग दिया, "हिप्नाटिज्म रेकगनाइज्ड बाई ब्रिटिश मैडिसन।"

श्री शशि भूषण (खारगान) : ज्योतिष।

श्री शिव शर्मा : मैं आयुर्वेद को कोई जादू नहीं समझता हूँ। मैं केवल एथिक्स, सौजन्य, के कारण यह फाइल दिखाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बड़े बड़े एलोपैथिक डाक्टर या पश्चिम के रोगी आयुर्वेद की चिकित्सा कराते हैं। मैं स्पीकर महोदय और चेयरमैन महोदय को यह फाइले दिखा सकता हूँ। मैंने हैल्थ मिनिस्टर को फाइल दिखाई है कि इतने लोग बाहर से, मेयो क्लिनिक वगैरह से, थक कर भारतवर्ष में आते हैं और अच्छे होकर जाते हैं और वह श्रद्धाजनित लाभ नहीं होता।

माननीय सदस्य ने हिप्नाटिज्म पर ज्योतिष का नाम लिया, इसलिए मैं उन को उत्तर दे दूं कि यहां के डाक्टर आनन्द साहब एक फिजियालोजिस्ट हैं और अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। आल-इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसिज में उन की कमेटी के सामने एक हिप्नाटिस्ट ने एक आदमी को हिप्नोटाइज़ कर दिया। कमेटी ने ई० ई० जी० के साथ एल्फा

वेव की स्टडी करनी चाही, जिन का निद्रा की हालत में एक विशेष आकार रहता है। उस मशीन का इस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि यदि आदमी झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है और आंखें बन्द किये पड़ा है, तो पकड़ा जाये, क्योंकि मशीन झूठ नहीं बोलती। इलैक्ट्रो एनसेफ़ेलोग्राम तो दिखा रहा है कि सबजेक्ट बिल्कुल जाग रहा है, जब कि वह खर्राटे मार रहा है। उस व्यक्ति को हिप्नाटिस्ट अपने साथ नहीं लाया था। वह तो आनन्द साहब का आदमी था, जिस को आनन्द साहब के साथ को-आपरेट करना चाहिए था। इस से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिप्नाटिज्म ठीक है या नहीं, उस के लिए इलैक्ट्रा-एनसेफेलोग्राम माप-दंड या यार्डस्टिक नहीं बन सकता।

अगर आप क्लोरोफार्म को हिप्नाटिज्म के साथ इनटेग्रेट करना चाहें, तो क्या कम्पाउंड बनायेंगे—उस का नाम क्लोरो-हिप्नाटिज्म रखेंगे या हिप्नो-क्लोर? एक वैद्य या डाक्टर अफ़ीम की गोली देता है, तो रोगी को कब्ज हो जाता है। जो पुराना कब्ज अच्छा नहीं होता, उस के लिए होमियोपैथ रोगी को होमियोपैथिक ओपियम देता है। सिमिलर क्यूर्ज सिमिलर। उस पुराने कब्ज को, जो उस कब्ज जैसा है, जो अफ़ीम से होता है, वह होमियोपैथिक ओपियम क्यूर कर देता है।

तो यह जो ग्रास ओपियम है उसके और होम्योपैथिक ओपियम का इण्टेग्रेशन आप करेंगे क्या? उस को आप क्या कहेंगे? अगर सम्भव भी है इण्टीग्रेशन तो किसी-किसी क्षेत्र में सम्भव है, किसी-किसी क्षेत्र में सम्भव नहीं है। लेकिन इस बात का कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि प्रत्येक विज्ञान के ऊंचे स्तर पर जाकर अध्ययन करने वाला दूसरे ज्ञान से लाभ उठा सकता है। ...(**व्यवधान**)...

मैं कुछ समय और ले सकता हूं या बैठ जाऊं? मैं इस सदन के नियमों के परिचित नहीं हूं, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया। मैंने कई बार देखा कि घंटी बजने के बाद की जो स्पीच होती है वह पहली से दुगुनी होती है। परन्तु वह इस सदन की परम्परा है, मेरी अपनी परम्परा नहीं है। मेरी अपनी परम्परा है कि घंटी बजे तो बैठ जाना। इसलिए मैंने पूछा कि अपनी परम्परा पर चलूँ कि सदन की।

अब मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात कह देता हूं। तीन आदमियों से मुझे अपने जीवन में झाड़ पड़ी है—श्री मोरार जी देसाई, श्री के०के० शाह और श्री गुलजारी लाल नन्दा से। इन्होंने यह कहा कि तुम्हारे जो प्रमाण हैं, जो तुम्हारा विज्ञान है उसे अपने गुणों पर ही इतना समर्थन मिलना चाहिए कि उसके लिए कड़ी भाषा की जरूरत नहीं है। पिछले भाषण में मैं बोल रहा था तो मेरे मुंह से यह शब्द निकले थे (जो बिल्कुल सच्चे थे चाहे वह कड़े रहे हों):

> "... that the attempt to misrepresent and liquidate Ayurveda, invidious during the Moghul period, insidious during the British, became perfidious thereafter."

इस सम्बन्ध में एक और घटना का वर्णन भी मैं इस समय कर देना चाहता हूं श्री जगजीवन राम जी के सामने। फिर मैं कहता हूं कि आयु दीर्घ करे भगवान श्री जगजीवन राम की, वह अब भी जीवित हैं, यह रेकर्ड पर रह जाय कि आयुर्वेद किस व्यवस्था में से निकला है, इसलिए मैं यह उदाहरण आपको दे रहा हूं। वह उस समय पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ के मिनिस्टर थे और एक मास अप्लीकेशन पोस्ट और टेलीग्राफ वालों ने दी हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हम आयुर्वेदिक औषधियों पर भी खर्च करते हैं तो उसका भी री-इम्बर्समेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल ड्यूरेस में जबर्दस्ती एलोपैथिक इलाज सरकार हम पर थोपती है। हमको आयुर्वेदिक चिकित्सा मिलनी चाहिए। उस पर उस समय की जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय थीं उन्होंने वह प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तो अप्लीकेशन दोबारा आई और श्री जगजीवन

[श्री शिव शर्मा]

राम के हस्ताक्षरों के साथ आई कि यह तो एक उचित मांग है इसको स्वीकार करना चाहिए। उसको भी रिजेक्ट कर दिया और फिर मैं यह कहता हूं कि यहां तक मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन उससे बाद जो उनके शब्द इस सदन में दिए हुए बयान में हैं कि हम आयुर्वेद का इसलिए समर्थन नहीं करते कि इसके लिए मांग ही नहीं है, अब यह जो हरकत है, अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है उस हरकत के लिए कि अप्लीकेशन को रिजेक्ट करके वह कहना कि मांग ही नहीं है, मुझे अंग्रेजी में परफीडो के सिवाय और कोई दूसरा शब्द मिलता नहीं। तो इन यातनाओं में से आयुर्वेद निकला। और इसकी रिपोर्ट के साथ क्या हुआ कि बनारस में एक इसकी रिपोर्ट बनी सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर की चेयरमैनशिप में, पर वह रिपोर्ट ही गायब हो गई। क्या किसी और यूनिवर्सिटी में कोई रिपोर्ट कभी गायब हुई है? सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। उसमें मैंने एक नोट आफ डिसेंट दिया। मेरे पास डायरैक्टर महोदय की चिट्ठी है कि हम उसे अवश्य छाप देंगे लेकिन नेहरू जी के सामने वह रिपोर्ट बिना उस नोट के रखी गई और उन्होंने यह समझा कि मैं भी उसी मत का हूं और उन्होंने पत्र लिखा श्री नन्दा जी को, वह पत्र मैं पढ़ देता हूं वह पत्र लेकर स्वयं मुझे उनके पास जाना पड़ा था :

"My dear Gulzarilal,

You have been dealing with the Tibia College affair that raises not only an important issue which we are considering now but also the larger issue of consideration to be given to students in Unani and Ayurveda colleges and schools. It seems to me that the second issue is important, and should be dealt with rather fully. Possibly some kind of a Committee might be appointed for the purpose.

I spoke to Dr. Sushila Nayar about it today. There is obviously a conflict between those who want Suddh Ayurveda and those who want the modern element in it. The Planning Commission has apparently approved of the former. I do not think that practically speaking this can succeed. I cannot suggest any particular way but it appears to me that the cutting off of Suddh Ayurveda teaching from modern medicine and modern science will not do much good to Ayurveda.

Yours sincerely,
Jawaharlal Nehru."

यह पत्र नन्दा जी ने मुझे दिखाया, यह पत्र मैं उनसे लेकर स्वयं श्री नेहरू जी के पास गया। उनके पास जाकर मैंने कोई बहस नहीं की। केवल शुद्ध आयुर्वेदिक कमेटी रिपोर्ट का एक पैराग्राफ उनके सामने रख दिया जिसमें स्पष्ट छपा था कि हम क्या चाहते हैं। उसको पढ़ते ही उन्होंने कहा कि नन्दा जी को जाकर कह दो कि मेरे पत्र का उत्तर देने की अब कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने भाषण लंका में जाकर दिया उसका टेप रेकार्ड मेरे पास है। आवश्यकता होगी कभी और आप आज्ञा देंगे तो मैं प्ले कर सकता हूं कि उनका बिल्कुल दृष्टिकोण बदला और उसी दृष्टिकोण पर वह आए क्योंकि आयुर्वेद का अपना दृष्टिकोण यह नहीं है कि देयर शुड बी नो चेंज ज्ञान वृद्धि ही न हो। हम लोग चरक के अनुयायी हैं, उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं और उसके ऊपर मैं चलता हूं :

नह्यस्ति आयुर्वेदस्य पारम्
दि साइंस मैडिसिन शैल बी नेवर कम्पलीट।

कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः
शत्रुश्चाबुद्धिमताम् ॥

सम्पूर्ण संसार बुद्धिमानों के लिए गुरु है और मूर्खों के लिए शत्रु है।

तस्मादमित्रस्याऽपि वाक्यं यशस्यं धन्यं
आयुष्यं गृहीतव्यम्, अनुविधातव्यम् ॥

इसलिए अमित्र की ओर से भी यदि कोई ज्ञान आ रहा है जोकि शास्त्र को बढ़ाने वाला है, रोगी का कल्याण करने वाला है, यश देने वाला है तो उसे झुक कर स्वीकार करना चाहिए और उसे शास्त्र का अंग बना लेना चाहिए। तो आयुर्वेद में तो निरन्तर आप देखेंगे इस चीज को। चरक के समय रस नहीं थे। फिर नागार्जुन आया तो दो हजार के करीब औषधियां उसमें बढ़ीं और भी बढ़ती ही जा रही हैं। तो वह तो बढ़ रही हैं बराबर। लेकिन श्री जोशी जी ने मुझ से अभी बात की थी और उन्होंने कहा था कि खिचड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ अन्ट्रेन्ड लोग हैं और उनके साथ ही ट्रेन्ड लोग भी मिला दिये। अब सबसे एक अजीब बात यह है कि खिचड़ी की चर्चा उधर से होती है जो बिल्कुल हन्ड्रेड परसेंट ट्रिपल डिस्टिल्ड खिचड़ी ही खिचड़ी है जो न पूरा वैद्य है न पूरा डाक्टर और सबसे भयंकर गलती जो इस समय हो रही है वह यह है कि हाफ साइंसेज का एक पूर्ण साइंस समझा जा रहा है। तो यह स्नातक तो हमारे बच्चे हैं और हम लोगों ने ही उनको यह पाठ्यक्रम दिया। उसका तो अगर कोई अपराधी है तो जिन्होंने कोर्स बनाया वह अपराधी हैं चाहे वह वैद्य थे चाहे डाक्टर थे।...(**व्यवधान**)... उनके भविष्य की रक्षा हमारा कर्त्तव्य है और उसके लिए जितने भी आप आश्वासन चाहते हैं मिलने चाहिएं। श्री मूर्ति जी से मैंने बात की है, दूसरे मैम्बरों से मैंने बात की है, मैं श्री के० के० शाह से बात की है, वह उनके भविष्य की अधिक से अधिक रक्षा करने को तैयार हैं। लेकिन दो भिन्न विषयों को मिलाकर जो एक कन्फ्यूजन, एक बिलकुल ही बवंडर खड़ा किया जा रहा है वह ठीक नहीं है।

उन बच्चों के भविष्य का प्रश्न बिलकुल अलग है और उस प्रकार का नकली और झूठा पाठ्यक्रम जिससे वह तैयार होते हैं उस पाठ्यक्रम का भविष्य बिलकुल दूसरी बात है। इन दोनों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए।

The future of these young men, Government must protect. But the perpetuation of that evil system which has produced anti-ayurved graduates is a separate issue. That must be abolished.

यह चीज आप को अवश्य समझनी चाहिए। श्री कंवर लाल गुप्ता मेरे मित्र हैं, उनके भ्राता मिश्र स्नातक है, मैं उनको यह आश्वासन देता हूं कि उनके भविष्य की रक्षा मैं अधिक कर सकूंगा उनके अमेंडमेंट की अपेक्षा।

मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ने मुझ यह अवसर दिया। कहा जाता है कि जिन लोगों ने हास्पिटल के साथ सम्बन्ध नहीं रखा वे योग्य नहीं। मेरे पास निरंतर पत्र आते हैं, जितने कहेंगे उतने दिखा दूंगा, वह कहते हैं कि एक वर्ष अपने साथ काम करने का अवसर दान दो। 6 महीने अपने साथ रखलो, वे बड़ी संस्थाओं के स्नातक हैं मैं जिस संस्था में पढ़ा हूँ वहां केवल दो कमरे थे। आज तो माननीया प्रधान मंत्री वहां जा कर आई हैं, श्री के० के० शाह वहां होकर आए हैं, आप जाकर आए हैं, वह छोटा सा पटियाला जहां हमने दो कमरे में पढ़ा था उसकी जो आयुर्वेद कालेज और हास्पिटल की बिल्डिंग्स हैं उनको एक ओर आप देखें और एक ओर बम्बई जैसी वैभवशाली नगरी के आयुर्वेद कालेज को देखें तो बम्बई के आयुर्वेद कालेज उसके सामने सर्वेंट्स क्वार्टर लगते हैं, वह तो आंखों के सामने देखने की बात है, वह कुटिया किस प्रकार से कालेज बनी? मेरे पिता जी वहां अध्यापक थे और उनको हैडमास्टर आयुर्वेद स्कूल कहा जाता था। केवल दो कमरे थे। एक दिन एक इंस्पेक्टर आया। एजूकेशन डिपार्टमेंट के नीचे वह था। उन्होंने आकर देखा कि यह बन्द पड़ा है। दूसरे दिन एक्सप्लेनेशन मांगा कि क्यों काम करने के दिन छुट्टी मनाई गई; लड़के सब जंगलों में बूटियों की पहचान करने गये हुए थे। उसके बाद हम लोग स्कूल बन्द करके रोगी के घर

[श्री शिव शर्मा]

जाया करते थे, क्योंकि कुल 5-6 विद्यार्थी हुआ करते थे। अब बड़ी देर से रिचर्स चल रही है और अन्त में अब बोर्ड आफ आयुर्वेदिक रिसर्च ने यह फैसला किया है कि क्योंकि इस आयुर्वेदिक रिसर्च और पुरानी चालू एलोपैथिक रिसर्च में कोई भेद नहीं है। अगर तुलसी के प्रिन्सिपल को निकाल कर एलोपैथी के फारमेकोपिया में डालना आयुर्वेदिक रिसर्च नहीं है अतएव रिसर्च आयुर्वेद ओरियेण्टेड बनाई जाय। इसलिए आवश्यकता है उनके कमरे वाले वैद्यों की।

15.00 hrs.

एक पुराने वैद्य हैं, जिनको मिश्र स्नातकों की भाषा में क्वैक कहा जाता है—पं० हरिदत्त शास्त्री। अब उनको आधुनिक डाक्टरों के साथ रिसर्च के आयुर्वेद का स्वरूप देने के लिए बैठाया जाता है—इस प्रकार का प्रस्ताव अभी हाल में श्री के० के० शाह जी की चेयरमैनशिप में पास हुआ है। किन के साथ बैठाया जायगा—टापमोस्ट-मैडिकल-साइंटिस्ट के साथ डा० आर० वी० अरोड़ा जैसे डाक्टर के साथ, जिनको भटनागर एवार्ड मिला है। तो इस जेनरेशन में एलोपैथी के लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और हर जगह हमको सहायता देने की कोशिश करते हैं। पहली जेनरेशन की बात छोड़ दीजिए, जिसने यह खिचड़ी पैदा कर दी, लेकिन नये डाक्टर हमारे साथ हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सकों से सहयोग करें।

अब मांग यह हो रही है कि वे जो घरों में जाकर रोगी देख आये हैं और जंगलों में जाकर बूटी देख आये हैं—वे तो क्वैक्स हैं और जो आयुर्वेद के ग्रन्थों से परिचित ही नहीं हैं, जिन को सरकार ने आयुर्वेद के पैसे से एलोपैथिक बैड्स दे दिये हैं—वे सच्चे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। इस धोखे में न पड़िये। अगर वैद्य समाज का भविष्य कुछ बनाना है तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। डा० सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में एक खास चीज थी, जिस में इन्टीग्रेटेड सदस्यों की प्रधानता थी। उन्होंने कहा कि जब आयुर्वेदिक कालिजों के अध्यापकों के लिये कोई इश्तिहार दिया जाय तो उस में क्वालीफाइड शब्द न लिखा जाय। सभापति महोदय, मैं आप के ध्यान में यही चीज लाना चाहता हूँ—संसार में कभी भी कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी, जिस के सदस्य यह कहें कि जब ऊंचे दर्जे के प्रोफेसर की जरूरत हो तो उन पर क्वालीफिकेशन का बन्धन न हो—क्या आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि संसार में कोई ऐसा सिस्टम है, जिस में ऐसा कहा गया हो? इस से बड़ा कन्डेमनेशन क्वालीफाइड लोगों के द्वारा क्वालीफाइड लोगों का नहीं हो सकता।

अब मैं डा० भिड़े के शब्दों पर आता हूँ—अभी इन्टीग्रेशन नहीं हुआ है, सब ने यही कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम को ३०-30 वर्ष और दे दें तो हम इन्टीग्रेशन कर देंगे, मैं कह देना चाहता हूँ कि इटर्निटी (अनन्त) तक इन्टीग्रेशन नहीं होगा। उसके पीछे विज्ञान की भावना ही नहीं है।

दो अन्तिम शब्द कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। आयुर्वेद ने पांच हजार वर्ष तक इन्तजार किया और आप के राज्य के बाद भी 25 वर्ष तक इन्तजार किया। अब उसकी कौन्सिल बनने लगी है तो उस में भी अमेण्डमेंन्ट्स आ रहे हैं, जो 30 वर्षों के बाद इन्टीग्रेशन होगा, उस के लिए भी अभी से आप एडवांस कौन्सिल बना देना चाहते हैं, जो कि संसार में कभी कहीं नहीं हुआ। हम को अभी से एडवांस में कौन्सिल नहीं बनानी चाहिए, इन्टीग्रेशन होने के पीछे ही उसकी कौन्सिल बन सकती है, इन एडवांस नहीं। आयुर्वेद अपना इन्टीग्रेशन करे और एलोपैथी अपना इन्टीग्रेशन करे। मैं आप सब भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिन्होंने अमेण्डमेंन्ट्स दी हैं उन से नम्र प्रार्थना करता हूँ जो कुछ भी तत्व उन में हैं, उन को पीछे लेते रहेंगे,

आज इस बिल की अनकांशसली सेबोटाज न करें, क्योंकि इस में विलम्ब हो जायेगा। अगर यह ला जल्दी न बना तो आयुर्वेद को जो हम जल्दी आगे ले जाना चाहते हैं, आगे नहीं ले जा सकेंगे और फिर सम्भव है यदि पार्लियामेंट भंग हो गई तो फिर यह बिल उसी तरह से खटाई में पड़ जाय...

श्री शशि भूषण : देश तो रहेगा। आपकी अनुपस्थिति में स्वीकृत होगा।

श्री शिव शर्मा : ईश्वर करे रहे, लेकिन फिर इस में वर्षों लग जायेंगे। जब से इस बिल की चर्चा शुरू हुई है, उस समय से वर्षों बीत गये हैं। फिर अगर आप इस में कोई सुधार चाहते हैं तो वह भविष्य में भी हो सकेगा, लेकिन एक बार वैद्य समाज को अवसर दीजिए कि वे इस बिल के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, अब तक उन को चांस नहीं मिला है। धन्यवाद।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Samhalpur) : Mr Chairman, two distinguished speakers who spoke before me made the plea that this Bill should be passed at the earliest opportunity and, therefore, they pleaded that all the amendments that have been tabled to this Bill should be withdrawn. I associate myself with this proposal.

The main purpose of this Bill is, first of all, to create a machinery, a Council, to protect the three different systems of medical practice which are prevalent in India and which are distinguished from modern medicine, namely, ayurved, siddha and unani.

Before this official Bill was introduced, a non-official Bill was introduced in this House, I think, some time in 1967 by Pandit Ananta Tripathi Sarma which sought a similar machinery for the protection of the Ayurvedic system. We feel, as Pandit Shiv Sharma said so eloquently, that if we mix up Ayurveda with the integrated system of medicine, a lot of confusion is likely to arise. But that should be taken care of by the Council when it comes.

Besides the problems that were discussed by the hon. Speaker who spoke before me, there are also some other very vital problems which have to be faced by the Central Council of Indian Medicine. We know that the Ayurveda system of medicine has been brought into disrepute marely on account of the fact that many of the practitioners start practice without getting adequate education in the ancient shastras and without adequate practical training. They are given certificates by some associations which are not qualified to issue such certificates. This thing must be guarded against.

As has been rightly pointed out in the Bill itself, the main responsibility of safeguarding the interest not merely of the practitioners of the Ayurvedic medicine but also of the patients who are treated by them, lies with the State Governments.

The Bill speaks of registers to be maintained by States of the people who should be considered qualified to practise the Indian system of medicine. It has been stated in sub-clause 3 (c) of clause 17 :—

> "the right of a person to practise Indian medicine in a State in which, on the commencement of this Act, a State Register of Indian Medicine is not maintained if, on such commencement, he has been practising Indian medicine for not less than five years ;".

Those people should not be debarred from practising Indian medicine. I do not know how many States have maintained this register but after this Bill comes into force the Central Council will have to maintain a central register on which names would probably be taken not merely from the registers maintained by States but also from those institutions which are enumerated in the four schedules at the end of this Bill which are qualified to award degrees which would qualify the practitioners to practise the different systems of Indian medicine. It is a great tribute to the Ayurvedic system of medicine that our President is at present undergoing treatment in Kerala of Kayakalpa and, we believe and hope, he will come back with renewed vigour to serve this country for many more years to come.

[Shri Sardhakar Supakar]

Therefore, there is all the more necessity of encouraging this system of Ayurvedic medicine.

It is well known that many of the medicines, many of the practices and diagnosis which have been practised by Kavirajs and vaidyas for centuries in the past have not been properly and scientifically analysed under modern methods. It is necessary, therefore, that the Central Council should also undertake special research of the many secrets which have yet to be discovered by the modern methods of investigation, analysis and research. I feel, if the Central Council is to organise this in a proper manner, it will not only enhance the prestige of Indian systems of medicine but also contribute to the sum total of the knowledge of mankind in improving our health and hygiene and in trying to cure some of the diseases, say, cancer, which still defy proper analysis, diagnosis and cure.

I wish the Central Council when it is formed all success. I associate myself with the view expressed by previous speakers that the amendments which are sought to be moved be withdrawn and the Bill passed at the earliest opportunity.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, का हृदय से स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने यह विधेयक लाकर न केवल आयुर्वेद का समर्थन किया है बल्कि आयुर्वेद की बड़ी महत्त्वपूर्ण सेवा की है, इसलिए भी मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। इस विधेयक पर बोलते हुए सम्माननीय श्री शिव शर्मा जी ने अधिकारपूर्वक इस पर विस्तृत चर्चा की। चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद का महत्त्व तथा उसका इतिहास उन्होंने इस सदन के सामने रखा। इसलिए मैं इस बिल की डिटेल्स की चर्चा न करते हुए सदन से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आज की परिस्थितियां हैं उनमें आयुर्वेद के हितों की रक्षा करने के लिए इससे अच्छा कोई विधेयक इस पृष्ठभूमि में नहीं आ सकता है। इसलिए मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करे। इसमें जो शुरू से एक सन्देह पैदा हुआ था और इस पर वाद-विवाद भी हुआ था कि एलोपैथी और आयुर्वेद को एक साथ रखा जाये या नहीं ..

SHRI P. G. SEN (Purnea) : Sir, the Minister is not here.

MR. CHAIRMAN : This is not proper. One of the Ministers should be here.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Shri P. Parthasarathy) : I am deputising for the Minister.

MR. CHAIRMAN : Either the State Minister or the Cabinet Minister should be here.

SHRI P. G. SEN : At least the decorum and dignity of the House should be maintained.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : The Deputy Minister is intended for deputising.

SHRI P. G. SEN : Sir. I propose that the discussion may be held up till the Minister comes.

MR. CHAIRMAN : I have asked them to send for the Minister.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : The Minister should be here.

SHRI B. S. MURTHY : Sir, I had just gone out to have a glass of water. It is Ayurvedic water.

श्री देवराव पाटिल : सभापति महोदय, आज देशवासियों के स्वास्थ्य के बारे में जो आंकड़े एकत्र हुए हैं उनको अगर देखा जाये तो ज्ञात होगा कि उनकी स्वास्थ्य की स्थिति चिन्ताजनक है। खासकर देहातों में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ यदि देखा जाये तो पता चलेगा कि स्वास्थ्य के बारे में शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में भेदभाव बरता गया

है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रामीण जीवन की उपेक्षा की गई है। एक तरह से शहरी और देहात के लोगों में भेदभाव बरता गया है जोकि किसी भी प्रकार से इस लोकतन्त्र के सांचे में उचित नहीं लगता है।

सभापति महोदय, आयुर्वेद ने गांवों में रहने वालों की जो सेवा की है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कहा जाता है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश ने बहुत प्रगति की है लेकिन यदि इसके आंकड़े भी देखे जायें तो मालूम होगा कि सन् 1947 में हमारे यहां मैडिकल कालेजेज की संख्या 25 थी जोकि अब बढ़कर 95 हो गई है। इसी अवधि में मैडिकल कालेजों में हर वर्ष भरती होने वाले दो हजार छात्रों की संख्या अब बढ़कर 12 हजार हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे देश में प्रति पांच हजार लोगों पर एक डाक्टर आता है जबकि मुदालियर समिति की सिफारिश थी कि साढ़े तीन हजार लोगों पर एक डाक्टर रखने का लक्ष्य होना चाहिए। आज हम समाजवाद का नारा लगाते हैं। हमारी 80 प्रतिशत जनता आज भी देहातों में रहती है लेकिन यदि स्वास्थ्य की स्थिति और डाक्टरों की संख्या देखी जाये तो 80 प्रतिशत डाक्टर शहरों में और 20 प्रतिशत डाक्टर देहातों में रहते हैं। दूसरे चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई फिर भी गांवों में रहने वाले आम लोगों को आज भी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। हिन्दुस्तान के 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से 20 प्रतिशत डाक्टर हैं, और इसलिए जन-कल्याण के लिए भी उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन की जरूरत है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री शर्मा ने विस्तार से बतलाया कि आज तक जो राशि रखी गई थी उसका उपयोग आयुर्वेदिक के लिए नहीं किया गया, उसका उपयोग ऐलोपैथी के लाभ के लिए हुआ। इसमें जो मेरा कहना है, जिसका स्पष्टीकरण श्री शर्मा ने किया, वह यह है कि आज जो आयुर्वेद कालेज हैं उनमें मिश्रित शिक्षा पद्धति लागू की गई थी और उनमें आज ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों शिक्षायें दी जाती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो पोद्दार कालेज है उसके लिए तो एम० वी० बी० एस० की मान्यता दी गई है लेकिन उसके अलावा जो ऐसे नौ कालेज हैं उनमें उसकी मान्यता नहीं दी गई है। जो छात्र गये थे वहां ऐडमिशन लेने के लिए उनका कोई कसूर नहीं था। इसलिए जैसा श्री शर्मा ने कहा, उन छात्रों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक कालेज के सभी लड़कों ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया है और उनकी प्रमुख मांग यह है कि बी० ए० एम० एण्ड एस० की जो डिग्री है उसको एम० बी० वी० एस० के समक्ष मान लिया जाये।

इसके अलावा मैं यह सुझाव भी रखना चाहता हूं कि इन्स्टिट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्थापना आज तक नहीं हुई है। चौथी प्लैन में भी उसके लिए कोई प्राविजन नहीं है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में कम-से-कम इन्स्टिट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिसन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए और जो इन्स्टिट्यूशन हैं इनके लिए, जैसे शिक्षा के बारे में ग्रांट दी जाती है, उसी तरह ग्रान्ट्स कमिशन बनना चाहिए ग्रान्ट्स देने के लिए।

अन्त में मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह बिल को जल्दी से जल्दी पास करे।

SHRI RANGA (Srikakulam) : I am not a doctor ; I do not understand these great distinctions between various systems of medicine. But I do not know about one thing, that Ayurveda is a system under which so many people had been trained in our villages and who had been ministering to the needs of our masses for a very long time. Then came the allopathic system and there arose a conflict between these two.

[Shri Ranga]

As soon as the diarchical system was introduced in the composite Madras State, the then Madras Government made the first effort to recognise Ayurveda and to give it a standing so far as the Government was concerned. The Raja of Panagal was Minister of Health then and he started for the first time in the whole country a special school and also a Directorate. The then Surgeon-General went to him and objected to it saying this was not a scientific system. At that time, the Raja of Panagal, I am told, retorted by saying that all his forefathers who were rich people and learned people whose lives were very much valued, had somehow or other managed to carry on their lives and get cured of their ailments by those who were called Raja Vaidyas and therefore he was convinced that Ayurveda had a scientific basis behind it. Besides, it would serve the needs of people and it would not be possible for his Government or any Government in future years to provide sufficient number of allopathic doctors.

It would not also be possible for them to provide all the medicines needed by the masses and which would be within their means. That was how he came to decide in favour of Ayurveda and give State patronange and start a college there. We had famous doctors in Ayurveda there. There was Pandit Gopalacharulu. He was well known all over India and it was he who brought Ayurveda again on to the platform of the present-day politics and made people favour Ayurveda. This was what I had known. But, unfortunately, what happened was that after some years, some other Ministers came and they were advised to start the integrated system of medicine and give encouragement to the integrated system of medicine. So, instead of having an Indian school of medicine, they have transformed it into a hospital and also a school and college for integrated medicine. I do not understand the intricate details of this and the difference between the one and other. But I am concerned now with a more human problem.

SHRI SHIV SHARMA : It should go on record that that college is no longer an ntegrated medicine college. Now it is awarding MBBS degrees and it has been completely converted. It no longer exists as a school or college of integrated medicine.

SHRI RANGA : It is a pity that it is so.

SHRI LOBO PRABHU (Udiki) : But those graduates are alive.

SHRI RANGA : They are now practising both certain aspects of allopathy and certain aspects of Ayurveda. They have also to be protected. It might be said that the patients have to be protected, and, therefore, why one should talk about the doctors alone. But those doctors are there and they have been practising that system, and they are known to their patients, and the patients go to them. They are known to this extent that patients do resort to their services. So, these doctors should be recognised and their interests also have got to be protected. I do not know how it is going to be done.

I would like this Council to take notice of this development which has taken place in the south, rightly or wrongly. I am glad that this council is going to be brought into existence. I am also glad that the Siddha, Ayurvedic and Unani systems are also now being accepted as based on science and scientific researches and, therefore, they are being given the status that they deserve and also the recognition that they need and they deserve.

I am also glad that according to this Bill, those who are practising any of these three systems in those States where till now the registers have not been instituted would also be protected provided they would show that they have been practising for the previous five years. But there is an administrative difficulty in regard to this period of five years. When there is no register, how on earth are Government going to decide whether one has been practising for the previous five years or not except to depend on the person's own oral statement ? One cannot very well institute an enquiry and ask for witnesses or patients to come and testify that the person had been practising for the

previous five years, and, therefore, he should be recognised or anything like that. Therefore, a much more practical, feasible and honest thing would be to accept the person's own statement that he has been practising in the local areas, and, therefore, he should be allowed to be registered and his name should be placed on the local register if and when it comes to be instituted. We do not know how soon these registers are going to be instituted by the States. But we hope and trust that every State would very soon come to have a register like this.

It is no good carrying on this controversy about which system is better, which is prevalent among the intellectuals, or saying any of these things for any political purpose. In the beginning, when the Britishers were here, we were all associated with Ayurveda, Unani etc., because they were indigenous and we trusted them. Now also we would like to make use of the traditional, scientific lore and culture that we have inherited. Some researches have already been made and some experts like Mr. Sharma have already gone into it and persuaded our Government and our leaders to give recognition to these things. We have come to this particular position that there should be a Council and these systems should be recognised and those who practise these systems should be given the necessary status and recognition. All this we accept now, and I take it to be a matter of progress, but I would like this Council to give proper consideration to these other people who have come to be trained during the last 20-25 years in Madras, Maharashtra and other places. Wherever they are they should also be recognised, given proper status, given an opportunity to carry on their practice, if necessary with certain modifications in the manner in which they carry on their practice.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैंने अभी श्री शिव शर्मा का भाषण सुना। वह हमारे देश के एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं और उन पर इस देश को गर्व है। मैंने देखा है कि उन्होंने अपने भाषण का अधिकांश भाग इस में खर्च कर दिया है जैसे इंटेग्रेटिड सिस्टम और आयुर्वेद में कोई लड़ाई हो। मैं नहीं समझता हूं कि इस विधेयक में इस प्रकार की कोई बात है। उन्होंने मेरा हवाला दिया है। यह ठीक है कि हमारे परिवार में एम० बी० बी० एस० डाक्टर भी हैं, इन्टेग्रेटिड कोर्स वाले भी हैं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो वह यह होगी कि मैं चाहता हूं कि शुद्ध आयुर्वेद ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में शुद्ध आयुर्वेद का अर्थ यह कभी नहीं है कि जो नई रोशनी है, जो नई इनवेंशंज हैं, नई रिसर्चेज हैं उनकी तरह से बिल्कुल आंखें मूंद ली जाएं। बाहर जितना नालेज है, जितने आविष्कार हुए हैं, उनका आयुर्वेद के अन्दर भी प्रवेश होना चाहिए लेकिन वह शुद्ध ढंग से होना चाहिये। उसका जो बेसिक कारेक्टर है वह बना रहना चाहिए। मैं ऐलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को घुसाने के व्यक्तिगत रूप में खिलाफ हूं। लेकिन एक्सपर्ट इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं और मेरे जैसा ले मैन इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता है कि किस तरह से उसका प्रवेश किया जा सकता है। तीन चार कमेटियां बनी थीं। दवे कमेटी की रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्टस भी आपके सामने हैं। उन्होंने इंटेग्रेटिड सिस्टम की वकालत की थी। लेकिन मैंने उन रिपोर्टस को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। मैं तो केवल जो मेरी व्यक्तिगत राय है उसको आपके सामने रखना चाहता था और वह मैंने रख दी है।

इस विधेयक को लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन बधाई देने के साथ-साथ मैं उसकी निन्दा भी करता हूं। अंग्रेजों ने आयुर्वेद को डस्ट बिन में डाल दिया था। मेरा आरोप है कि इस सरकार ने सत्तारूढ़ होने के बाद उसमें और कूड़ा डाल दिया है। आज 23 साल के बाद इस सरकार ने फिर उसको उठा कर बाहर रखा है जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। लेकिन जो क्रिमिनल नैग्लिजैंस इस सरकार का रहा है, उसके लिए इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। आयुर्वेद का अपमान देश में या दुनिया में हुआ है तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे

[श्री कंवर लाल गुप्त]

ज्यादा यह सरकार जिम्मेदार है। इसने खुद इसका तिरस्कार किया है। श्री शिव शर्मा से भी मेरा मतभेद एक बात में है। जहां उनके जैसे चिकित्सक हमारे देश में हैं वहां वे लोग भी हैं जो दो चार दवाइयां लेकर बैठ जाते हैं और अपने आपको वैद्य कहने लग जाते हैं। उनको कुछ आता नहीं है। उन्होंने इस सिस्टम को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आहिस्ता-आहिस्ता आयुर्वेद पर से श्रद्धा हटती गई है। लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि जितना साइंटिफिक बेसिस आयुर्वेद का है उतना शायद माडर्न साइन्स जिसको कहा जाता है उसका भी नहीं है। अब आपने एक कदम उठाया है लेकिन इसके बाद और भी बहुत से कदम आपको उठाने होंगे। इसके लिए आपको पैसा और देना चाहिए। जितना आपने माडर्न साइन्स के लिए पैसा रखा है आयुर्वेद के लिए उससे ज्यादा रखना चाहिए। इस देश में गांवों में दवाइयां पहुंचानी हैं तो वे सस्ती होनी चाहियें। अब सस्ती दवाइयां आयुर्वेद में ही हो सकती हैं, यूनानी में ही हो सकती हैं, होम्योपैथी में ही हो सकती हैं, माडर्न साइन्स में तो वे महंगी ही होंगी। इस वास्ते आप रिसर्चेज़ करें और किस तरह से इसको नीचे से फैलाया जाए, इस पर आप विचार करें। इसके बारे में एक कम्प्रिहैंसिव स्टडी करके सरकार को फिर बिल लाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय विश्वास दिलाएं कि आयुर्वेद का जिस तरह से सरकार ने अब तक तिरस्कार किया है, वह आगे नहीं होगा।

श्री शिव शर्मा ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं वह दो कमरे का स्कूल था। पहाड़ों पर बूटियां लेने के लिए वे जाया करते थे। लेकिन आजकल हजारों लाखों रुपया खर्च होता है। लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास एक तस्वीर है जो बम्बई के स्कूल की है और वह बिल्कुल अस्तबल जैसी जगह है, जो रिकगनाइज्ड है और छः महीने के अन्दर वह डिप्लोमा दे देती है, घर बैठे डिग्रियाँ मिल जाती हैं। ऐसा आदमी प्रेक्टिस करने के लिए एलीजिबल हो जाएँगा। जैसा इस विधेयक में है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं रजिस्टर के पक्ष में हूँ। मैं क्वेक्स के खिलाफ हूँ। गवर्नमैंट कहती है कि इंस्टीट्यूशन होगी। उसकी कुछ परिभाषा आप करें, उस में कुछ स्टेंडर्ड लाएं। जरूरी नहीं कि साइंस जैसा स्टैंडर्ड हो। लेकिन लाखों रुपया जहां आप देते हैं, उसका कुछ तो स्टैंडर्ड हो। चार पांच साल की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद चार पांच साल तक उसको इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने जिस इंस्टीट्यूशन को स्वीकार नहीं किया है, उसको आपने स्वीकार कर लिया है। यह नहीं होना चाहिये।

आपने पढ़ा होगा पैप्सू के अन्दर पचास बच्चे मारे गये क्योंकि जो कुत्ते मारने की दवाई थी वह बच्चों को दे दी गई। इस तरह का हाल होगा तो कैसे काम चलेगा। इसको हमें रोकना होगा। माडर्न साइंस के अन्दर आपने तीन-तीन और चार-चार शेड्यूल बनाये हैं। उसी तरह से इसके अन्दर भी अलग-अलग शैड्यूल बनने चाहिएं। छः महीने कोर्स करके जो लड़के सैंकड़ों की तादाद में हर साल निकलते हैं और डिग्रियाँ लेकर निकलते हैं, उस चीज को जल्दी रोका जाए।

जहां तक इंटैग्रेटिड कोर्स का सम्बन्ध है, मैं इस पक्ष में हूँ कि आयुर्वेद में दूसरी साइंसिस की जो अच्छी चीजें हैं, उनका समावेश होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जो स्वरूप है उसको ही खत्म कर दिया जाए। आयुर्वेद अभी सर्जरी में पीछे है। अब उसके लिए अलग डाक्टर रखना ठीक नहीं है। आयुर्वेद में सर्जरी उस प्रकार से नहीं होती है

जिस तरह से एलोपैथी में होती है। इस वास्ते गांव में कोई वैद्य जाता है तो उसको सर्जरी का एलीमेंटरी नालेज तो होना चाहिये। वह मास्टर हो वैद्यक का लेकिन साथ-साथ एलीमेंटरी नालेज उसको इसका भी होना चाहिये। अब यह कैसे हो सकता है, यह मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं लेमैन हूँ। लेकिन इसकी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए कि आयुर्वेद में कैसे और किस मात्रा में और किस तरीके से कुछ और ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन इसका बेसिक कारेक्टर बदला न जाए। गांव में अगर कोई वैद्य गया और उसके पास मरीज आया जिस की टांग में चोट लग गई तो क्या वह मरीज को यह कहेगा कि डाक्टर के पास जाओ। अब वहां वैद्य और डाक्टर दोनों नहीं हो सकते हैं। हमारा देश गरीब है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। सर्जरी का एलिमेंटरी नालेज तो जरूर होना चाहिए और उसके लिए सरकार को कोई बन्दोबस्त करना पड़ेगा।

मंत्री महोदय कहते हैं कि आगे के लिए इन्टीग्रेटिड कोर्स नहीं होना चाहिए। आगे के लिए इन्टीग्रेटिड कोर्स हो या न हो, वह एक अलग सवाल है। जैसा कि मैंने कहा है, एलिमेंटरी नालेज तो जरूर होना चाहिए, लेकिन जो लड़के इन्टीग्रेटिड कोर्स पास कर चुके हैं, जिन की संख्या करीब 38 हजार है, उन की किस्मत का क्या बनेगा? हिन्दुस्तान में इस तरह के 53 कालेज हैं और 10 यूनिवर्सिटीज हैं। जैसा कि श्री रंगा ने कहा है, सरकार को उन लोगों की समस्याओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के लिए अलग-अलग कमेटियां लगाई हैं। जब सिद्ध केवल 600 लोगों के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, तो इनटेग्रेटिड कोर्स पास किये हुए 35, 40 हजार लोगों के लिए भी एक चौथी कमेटी बनाई जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि चौथी कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि उसका नुकसान क्या है—सिवाये इसके कि इस बारे में कुछ प्रैजुडिसिज हैं। वे प्रजुडिसिज नहीं होने चाहिएँ। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन लोगों के लिए सेफगार्ड कर दिया गया है। कुछ लोग तो माड्रन मेडिसन में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं, उन के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए एक चौथी कमेटी सरकार को अवश्य बनानी चाहिए।

श्री शिव शर्मा और डा० गोविन्द दास ने कहा कि इस विधेयक के बारे में कोई एमेंडमेंट्स नहीं लानी चाहिए। अगर कोई एमेंडमेंट्स नहीं लानी है, तो फिर इस विधेयक को इस सदन में लाने का क्या लाभ है? हां, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं रखी जानी चाहिए, जिस से इस विधेयक के पास होने में देर हो। आज यह सदन इस को पास कर देगा। कल यह राज्य सभा में जा कर पास किया जा सकता है। इस तरह यह विधेयक इसी सेशन में पास हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह 35 हजार लोगों की किस्मत के साथ न खेलें। उन्होंने कहा है कि वे सब वोटर्ज बन सकते हैं। लेकिन नान-क्वालिफाइड लोग इलैक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। मैजारिटी वोटर्ज ऊपर तक प्रभाव डालेंगे।

आखिर में मैं फिर कहूँगा कि जो 35 हजार लोग इन्टीग्रेटिड कोर्स पास कर चुके हैं, सरकार उन की समस्याओं का जरूर ध्यान रखे। हम सब ने केवल एक ही मांग की है कि उनके लिए एक चौथी कमेटी बना दी जाये। सरकार वह क्यों नहीं बनाना चाहती है? हम को मालूम होना चाहिए कि उस में क्या दिक्कत है।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार आयुर्वेद में रिसर्च के लिए और उसकी उन्नति के लिए और पैसा देगी।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill. Just a few days back, in my state, the students of the Ayurveda College were on strike, and it is almost a phenomenon every year,— an annual feature or an annual exercise—that the students should agitate, should go on strike, and the issues on which they agitate are the ones that we are discussing today. I think the situation in other parts of the country also may be the same.

There is a lot of confusion on this subject and unfortunately, till today the Government could not make up its mind on the establishment of a central body to streamline the situation as regards the educational system as far as Indian medicine is concerned.

There is a lot of controversy here as between *Sudha* Ayurveda and integrated course. I am a lay man and I will not attempt to give any opinion on this subject. But I can say that my State provides Ayurveda treatment according to the classical school, *i.e. Sudha* Ayurveda. You know our President is at present in Kerala undergoing treatment at Kottakkal which is one of the most renowned places for Ayurvedic treatment in the whole country. They have meticulously taken care all along to see that they keep up Ayurveda uncontaminated. We should praise them for it.

I have heard some people say that Ayurveda cannot prosper these days as a profession because it is outmoded and so on. There again, the experience of my State is, so many renowned physicians are there in the field who meticulously stick to the classical school of treatment and they are prospering and doing very well in the profession also. The *ashta vaidyas* of Kerala are famous throughout the country. Although I am a lay man, I venture to say that it is very necessary to maintain and cherish that institution as it was in the old, not that it should remain as it was, but it should be developed. There should be research, which is very much lacking today. Government is to be blamed, as far as I can see, for the lack of facilities and for dearth of funds and resources for conducting real research in this field. If you leave this responsibility to those who are practising the profession, much cannot be achieved.

I had an opportunity last month to attend the annual conference of the Kerala Ayurveda Maha Mandal, which represents the Ayurvedic Vaids of our State. They were saying that they do not have any facilities, that they get stepmotherly treatment at the hands of every Government which comes and goes, whatever the pattern or colour of the Government may be, etc. That is their standing complaint. This is a very tragic situation. Even today Ayurveda meets the needs of millions of our countrymen by providing comparatively cheaper treatment especially to our villagers. But it is a pity that research is neglected, that very valuable herbs are not preserved and our forest wealth in that respect is not protected.

It is a pity that herbal gardens are not nurtured and brought up. There have to be looked after by the government. I think on this occasion we have to lay stress on these aspects.

Let us try to treat Ayurveda as Ayurveda and develop it through intensive research. If somebody says that development of Ayurveda means blending it or mixing it with another system of medicine, I would like to differ from him. But if somebody says that development of Ayurveda means development through intensive research, I would agree with him. We are very much lacking there.

I do not think this Council can work miracles. But it is a step forward. There is no doubt about it. When this Bill is passed, if the government take energetic steps to establish the Council, it will certainly be able to get rid of a lot of difficulties that now exist in the field of medical education and the confusion that prevails between state and state.

It can also go into the problem of thousands of graduates who have undergone this intergrated system. Though I have no ready made solution for it, I realise it is a very important question. As my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, has said about 50,000 people are involved. It is not their fault that they are in this situation today. In my state also this system was tried. But after going through this exercise for some time. perhaps the graduates themselves felt that it is not worth trying and the government and the academi-

cians felt that it is not worth proceeding with. So, they have now dropped it. That is the experience of our State. The situation in other States may be different. It is a serious enough problem. I would like the government to appoint some committee to go into this problem. Or if a council can be appointed to take care of this problem, I would support such a proposal. The problem has to be given some consideration and some way out has to be found.

The funds allotted in the Five Year Plan for the development of Indian medicines are very meagre. Those States where Indian medicines, especially Ayurveda, have a glorious past, where even today it is practised on a large scale, such States should be given special assistance. When the Council is form nothing should stand in the way of the most renouned people in the field getting representation in that Council.

There are some Members in the House who feel that since this Council has to sit in judgment over syllabus, curriculum, examinations and a lot of other things concerning educational institutions and all that, how perhaps some of our vaidyas, who are very prominent in their profession but who may not have gone through any training in an institution, will fit in and contribute. My personal view is—and I hope, Shrimati Sushila Nayar and others will realise it—that it is not just a narrow question of syllabus, curriculum and all that ; from the broader angle, these are the veterans who should be able to guide the others in the Council as far as basic questions concerning Indian medicine are concerned. So, I would like this Council to be a place where some of our best people should be represented. Again, it should not be a place to find berths for some people. I do not know how that can be assured because there are provisions for nominations and for election. I only want the Government to remember that as far as they can see, they will see to it that the veterans in the field, the most renowned persons, some of them at least, will find a place in this Council that will be formed and Indian medicine will get a fair and proper treatment at least in the future.

So, I would like to support this Bill. I want that we should pass this Bill in this session itself so that a Council can be established without any delay.

DR. MELKOTE (Hyderabad) : Mr. Chairman, I am sorry my throat is bad today but I am speaking.

Sir, I do not want to go into all the details but a great deal of stress is being placed on the problem of students who have passed out from the integrated system. I would like to tackle this question first. If they have had the integrated system and are sufficiently qualified, may I ask the integrationists as to why, because the whole attitude of theirs is to treat according to the modern system of medicine, they are not able to do that and want to have the best of both the worlds ? If this House feels that they have had sufficient education and training, why not include them in the modern system of medicine so that their status is raised ?

Here they are not being neglected. Whilst this is the first time that the Council is coming into existence, numerous people who have not been trained institutionally or have had training in hospitals are all included in the list. This is what happened in England and many other countries when the councils first came into existence. But in the election which has been proposed here, since these people are institutionally trained—and all students of the integrated system come under this category ; it is only these people—and are in a majority, a majority of them will come into the Council and can have their say.

Is there anything like an integrated system of medicine ? Either it is Ayurveda, Siddha and Unani or it is modern medicine. There is nothing like an integrated system. If they feel that modern medicine and modern knowledge ought to be imparted, there is nothing in this Bill to prevent such of those lacunae to be filled.

Therefore, they have the best of everything. It is these people who will get elected. But they want special recognition and have not done anything so far. They have not brought out a single book. What are the books that they have published ? What is their knowledge ? Can they compare with

[Dr. Melkote]

people with ancient Ayurvedic lore and compete with them in knowledge ?

Still they want to have an upper hand over those people who have a better knowledge of Ayurveda. This cannot be allowed to occur. We have got to be reasonable and do justice. Therefore, this integrated system of medicine is recognised as a part of Ayurveda. Since they are already there, it is not right for them to claim that there should be a separate group. That is because they have been propagating everywhere that they should have special privileges and they are propagating that students in Ayurvedic colleges should rebel and join their group. That means it is a death-knel for Ayurveda, Unani and Siddha systems. If that is the purpose of integrated system, why not do away with this Bill altogether ?

16.00 hrs.

The point is not that. The point is, for the first time, you have introduced the system and you are trying to do something for Ayurveda or the ancient system of treatment. Here, I must say that one of the greatest things that have occurred today is that the President of India is having Ayurveda treatment in Kerala. All credit to him ; all glory to Ayurveda. I hope he will come back fully refreshed and rejuvenated.

The other thing I would like to say is this. For the last 30-40 years, my hon. friend, Shri Shiv Sharma has been pleading, undaunted, for the cause of Ayurveda and he has done well today. His speech was an excellent speech which should go down in history and in the adoption of the Bill. I entirely agree with every bit that he said.

Another point is that for the first time, the Government, the hon. Minister, Mr. K. K. Shah, Mr. B. S. Murthy, the Director of the Indian Medical Council and others under him have tried their very best to help Ayurveda and the Government is doing its very best to bring up this system, the ancient pattern of treatment. It is not merely in India. India has numerous Ayurvedic physicians. During the foreign regime and during the last 23 years, after Independence, the Government has done nothing for Ayurveda. In spite of all that suppression, the number of Ayurvedic physicians is more than 3 lakhs.

Then, recently, we had a delegation from Burma which visited India. They said that they have eight Ayurveda colleges and they wanted to see what is being done in India. They have about 40,000 practitioners in Ayurveda. They told us there are practitioners in Ayurveda. They told us there are practitioners in Ayurveda in Malaysia, Singapore, Ceylon, Indonesia, Bangkok and even in Mangolia and Korea. We have been thinking of having an International Congress on Ayurveda. What I am trying to say is that in spite of all the suppression, Ayurveda has survived. All glory to our scientists, to our *rishis* and to our Ayurvedic physicians who have kept it alive.

What I say is this. The important question is : Is modern system better than the ancient Indian system ?

Recently, about 10 months back, a lady, Dr. Leitchic from Switzerland came to India just to understand what Ayurveda is like. That is because the modern doctors are now recognising—the public do not know—that there are a type of diseases that are being caused by the doctors themselves, that is, degenerative diseases, through the medicines they give. That is not so in Ayurveda. It has never been said that Ayurveda creates any degenerative diseases. You must cure diseases. But the modern doctors are creating diseases. Most of the chemicals that they are using as drugs try to kill germs and in killing germs—the dose is not enough to kill the man and, the therefore, he recovers—they leave degenerative conditions in the system. Ayurveda tries to overcome this. This is the only system which can give health and longevity. Even at the age of 75 or 80 or 85, you can still have recourse to Ayurveda and perfect your health. They say that modern medicine is trying to create degenerative diseases. Therefore, they wanted to come to India to understand what Ayurveda is doing. She said : I have gone to hospitals in Delhi, in Bombay, in Poona, Jamnagar, Delhi, Coimbatore and Kerala ; many of the patients who have undergone treatment here in the Ayurvedic hospitals have been treated by experts in

modern medicine ; in different Ayuryedic hospitals they have been cured here ; I find they have been cured as against the modern medical people not curing them. So, Ayurveda is not bad and is not to be condemned. Ayurveda is the only system that recognizes the physical motion of matter in the body—*Vathapithakafa*. This is the type of physical motion that takes place in the electronic systems of the body. It has to be properly translated and treated. It is one of the highest concepts that the modern medicine is trying to adopt and the day is coming when Ayurveda will be recognized all over the world. The humoral theory of Greece which the modern medicine people are trying tn apply to Ayurveda is not correct. I am sure Ayurveda will be recognized all the world over and taught soon. Those who plead for the integration system and want to kill Ayurveda, why not let them go and join the MBBS. My objection is not to the integrationists. They have been trained here. They have been given the necessary status. We have got to recognize that fact and, at the same time, we should recommend that Ayurveda, consistent with its ancient glory, should be given its proper place and the whole world will come and copy us. So, if somebody from the other side wants to oust Ayurveda and say that the integrationists may separate, I say, what for ? If they do not want to call themselves Ayurvedists, let them go to MBBS side. I have no objection. But to form a separate group is not doing justice to Ayurvedists. These people who do not want to call themselves Ayurvedists, want to be called integrationists. They do not want to call themselves Ayurvedists. This is the crux of the whole question.

Sir, my throat is giving trouble......

SHRI P.G. SEN (Purnea) : "Khadirbati," an Ayurvedic medicine, will be the best thing for that.

DR. MELKOTE : Sir, this Bill is most welcome. It has been delayed and it should have come long back. I won't say there should be no amendments, but if amendments come at this stage, then it will have to go back to the Rajya Sabha and the Bill becoming law will be delayed. Or some of the amendments are not worth considering. So, from that point of view, I am supporting this Bill. I have given it my whole-hearted support and I welcome this Bill.

Thank you, Sir.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : सभापति जी, सदन के सामने जो विधेयक है उसका मौलिक रूप से सब लोग स्वागत कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। यह सौभाग्य की बात है कि 23 साल के बाद अपने इस सदन में हम लोग आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं और आयुर्वेद शास्त्र के विकास के लिए कुछ कानून बना रहे हैं। मैं तो उन आदमियों में हूं जो मानते हैं कि हमारा देश बहुत पुराना है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है और हमारे देश में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी। जब हमारा देश इतना पुराना है तो क्या उस काल में हमारे यहां वैध नहीं होते होंगे, क्या उस समय लोग बीमार नहीं होते थे, क्या हमारा कोई चिकित्सा शास्त्र नहीं था—ऐसी बात नहीं है, हमारे यहां सब कुछ था, हम लोगों को पूरा अभिमान है कि हमारा राष्ट्र बहुत पुराना है, जहां सब चीजें थीं। लेकिन हमारी जो भी सभ्यता थी या हमारा जो भी विज्ञान था, उसका यदि विकास नहीं हुआ तो उसका कारण क्या था ? उसका कारण हम लोगों की गुलामी थी, गुलामी के कारण हमारे शास्त्रों की प्रगति कुंठित हो गई। लेकिन आजादी आने के बाद उसके विकास का जो मौका दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया, इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ऐसा बिल बहुत पहले ही आना चाहिए था, फिर भी आज आया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं।

16.09 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

लेकिन आज जो चर्चा इसके सम्बन्ध में मैं यहां सुन रहा हूं। मुझे उसमें कुछ बू आ रही है—जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्स की बात चलाई है और इतने कालेजेज निकाले हैं,

[श्री एस०एम० जोशी]

उनके उद्देश्यों पर कुछ लांछन लगाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने इंटेग्रेटेड कोर्स की बात चलाई उसमें भी वैद्य लोग थे और आयुर्वेद का विकास चाहते थे। हमारा बेसिक सिद्धांत अच्छा है। कफ, बात और पित्त वाला मेरा लड़का डाक्टर है, मेरी बहू भी डाक्टर है, और भी दूसरे रिश्तेदार डाक्टर हैं, इस सम्बन्ध में मैं उनसे लड़ता हूं। मैं तो देहात से आया हूं, अभी शहर में रहने लगा हूं। देहात में मैं जब छोटा था तो बीमार हो ही जाता था और तब अगर किसी ने मुझ को बचाया है तो वैद्यों ने ही बचाया है। इसलिए यह कहना कि हमारे देश में ऐलोपैथी के सिवाय और कुछ भी नहीं था, गलत होगा। यह भी कहा जाता है कि इसमें क्वैक्स पनप रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या अपने देश में पालिटिक्स में क्वैक्स नहीं हैं? तो जिस प्रकार से क्वैक्स पालिटिक्स में हैं और उसी प्रकार से इस मेडिसिन के धंधे में भी हो गए हैं। मुझे याद है कि हमारे सूबे में किसी न किसी तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करके कितने ही जाली वैद्यों ने अपना नाम रजिस्टर में दाखिल करवाया। इस तरह से बहुत लोगों ने अपने नाम लिखा दिए जिनके पास न कोई शिक्षा थी और न कोई प्रैक्टिस ही थी। तो यह तीन लाख की जो संख्या है उसमें ऐसे लोग भी हैं। मिनिस्टर साहब के भाषण में मैंने एक वाक्या सुना—अगर मैं गलत हूं तो वे ठीक कर सकते हैं—लेकिन आपने कहा इतनी जल्दी इंटेग्रेशन होने की कोई आशा नहीं दिखाई देती है तो मैंने पूछा कि अगर आशा नहीं है तो क्या यह डिज़ायरेबिल है या नहीं? यहां दो स्कूल्स हैं। एक तो शब्द पर लड़ाई चल रही है लेकिन आप शब्द इंटेग्रेशन रखिए या कुछ भी रखिए क्योंकि यह तो दूसरों की जबान है। लेकिन हम तो कहते हैं कि इंटेग्रेशन का शब्द इस अर्थ से किया गया कि हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसकी तरक्की के लिए उसे आधुनिक विज्ञान की रोशनी में नहीं लाया जायेगा। यदि हम माडर्न साइन्स, आधुनिक विज्ञान, के साथ नहीं चलेंगे तो आयुर्वेद को लोग भूल जायेंगे।—यही—इंटेग्रेटेड का मतलब है। मेरे डाक्टर दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा वैद्य थर्मामीटर का इस्तेमाल क्यों करता है। मैंने कहा कि अरे भाई तुम ट्रेन में क्यों बैठते हो? जब किसी काम में कोई सुविधा की बात पैदा हो जाती है तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाये? हां, नाड़ी देखकर भी कुछ लोग निदान करते हैं लेकिन कितना बुखार है उसको नापने के लिए कोई यन्त्र अगर माडर्न साइन्स ने दिया है तो क्या वह उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? नब्ज देखकर भी रोग का निदान कर सकते हैं, यह मानता हूं। लेकिन रोग का निदान करने में अगर पैथालौजी को साइन्स कुछ मदद देती है तो क्या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या वैद्यों को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जैसे बैक्टीरियोलौजी साइन्स पहले नहीं थी लेकिन उसके चलने से बाद में वन्डर ड्रग निकली। इसलिए अगर वैद्य लोग बोलेंगे कि हम सिर्फ नब्ज़ देखकर और अपने पुराने औषध से ही सब कुछ करने वाले हैं, हमको बैक्टीरियोलोजी की कोई आवश्यकता नहीं है, एनाटामी की कोई आवश्यकता नहीं है, बायलोजी की कोई आवश्यकता नहीं है या और जो विकास हुए हैं उनके पीछे हमें नहीं जाना है तो फिर आयुर्वेद भी कभी पनप नहीं सकता है। इंटेग्रेटेड लोगों ने जो काम किया वह इसी दृष्टि से किया। मैं मानता हूं वे नाकामयाब रहे लेकिन उनके ऊपर यह आरोप करना कि एलोपैथी के हक में और आयुर्वेद का खात्मा करने के लिए यह चीज़ शुरू की तो मैं समझता हूं यह सरासर अन्याय है। इस अन्याय को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। हो सकता है कि वे फेल हो गए। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे लड़के आये और कहने लगे कि हमको डाक्टर कहो तो फिर और क्या कहेंगे? आज हमारी एक्वीज़िटिव

सोसायटी है। आजकल शहरों में जो दवा लेने के लिए डाक्टर के यहां जाते हैं वह पहले ही पेशेन्ट डाक्टर से कहता है कि हमको स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दो। अरे भाई जब डाक्टर देखेगा तभी तो वह बतायेगा कि सुई की जरूरत है या नहीं लेकिन आजकल यह समझा जाता है कि जो सुई नहीं लगायेगा वह डाक्टर ही नहीं है। इस लिए वे भी इस एलोपैथी का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह कहना कि जानबूझकर आयुर्वेद को खत्म करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। मेरी अपनी राय में आयुर्वेद सिद्ध और युनानी का अगर विकास होना है तो फिर जो माडर्न साइन्स है उसकी तरफ से अपनी आंखें बन्द नहीं करनी चाहिएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति पनप नहीं सकती। इस कौन्सिल के द्वारा भी एक बड़ा प्रयत्न हो रहा है। अब यह कौन कहेगा कि इस प्रयत्न से हम बिल्कुल कामियाब होंगे। उन लोगों ने भी प्रयत्न किया, आप भी प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका में स्वागत करता हूं। लेकिन आयुर्वेद का विकास, सिद्ध का विकास, यूनानी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि हम आधुनिक विज्ञान का भी आश्रय नहीं लेंगे। ...(**व्यवधान**)...

मैं तो यह भी कहूंगा कि वेस्टर्न मेडिसिन्स को पढ़ने वाले जो हमारे लड़के हैं उनको भी पहले साल में, आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वह बता देने चाहिए। वे कुछ जानते नहीं हैं इसलिए वे दूसरे लोगों को क्वैक्स कहते हैं। इसलिए उनको भी आप उसके बेसिक— प्रिंसिपल्स बताइये। अगर उनको बेसिक प्रिंसिपल्स मालूम रहेंगे और उसके बाद जब वे पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स लेंगे तो हो सकता है उसमें वे आयुर्वेद की तरफ भी आकर्षित हों। हमारे महाराष्ट्र राज्य में इसका बड़ा झगड़ा चल रहा था, आप भी वहां पर थे, वहां के लड़कों ने कहा कि ठीक है, अगर आप इस चीज को नहीं कबूल करते हैं तो हमको एम० बी० बी० एस० बनने का मौका दो। कन्डेन्स्ड कोर्स हुआ लेकिन कितने ही लोगों की कंडेन्स्ड कोर्स में जाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कोशिश की है अच्छे लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 हजार है। उनको यह कहना कि यह सब नकली वैद्य हैं, पैसे के लिए यह सब हो रहा है तो वह बात गलत है। इस कानून के द्वारा कहा जाता है कि प्रैक्टिस करने के लिए तुमको इजाजत है। लेकिन मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, प्रैक्टिस तो वे करेंगे लेकिन उनकी जो कोशिश है, उनका शुरू का जो प्रयास है इंटेग्रेट करने का, उस प्रयास को भी आप कबूल करना चाहते हैं या नहीं? उनको आप कोई महत्त्व देना चाहते हैं या नहीं? उनको भी कोई मौका देना चाहते हैं या नहीं। मैं समझता हूं जैसी आपकी कोशिश होगी वैसी उनकी भी कोशिश होगी। हो सकता है पहले वे फेल कर जायें। मिनिस्टर साहब जैसा कहते हैं कि चालीस साल के बाद सक्सीड करेंगे...

श्री ब० सू० मूर्ति : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री एस० एम० जोशी : आपने कहा कि नीयर फ्यूचर में अभी कोई आशा नहीं है तो मैंने पूछा कि वह डिज़ायरेबिल है या नहीं। ...(**व्यवधान**)...

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन पहले कहा जाता था कि पृथ्वी एकदम फ्लैट है लेकिन बाद में साबित हो गया कि पृथ्वी गोल है तो उस हाइपाथेसिस को हमने पूरी तरह से छोड़ दिया। उसी तरह से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला लेकिन आइंस्टीन ने जो उसमें भी खामियां थीं उनको दुरुस्त किया। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि न्यूटन का सिद्धान्त ही खत्म हो गया कि न्यूटन का सिद्धांत तो

[श्री एस० एम० जोशी]

रहा लेकिन उसमें विकास करने के लिए और खामियों को दूर करने के लिए दूसरा सिद्धांत हुआ। इसी प्रकार से यह कहना भी गलत होगा कि कफ, पित्त और बात वाला सिद्धांत भी खत्म हो गया बल्कि जो उसमें खामियां हैं उनको माडर्न साइंसेज के जरिए से ठीक करने के लिए कोशिश करनी है। इसलिए इंटेग्रेटेड वाले जो चालीस हजार हैं, जिन्होंने कोशिश की और जिन्होंने उनको पढ़ाया, हो सकता है कि वे नाकामियाब हो गए हों लेकिन उनके लिए भी आप एक कमेटी रखिए। अगर आप उनको ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन नहीं देना चाहते हैं तो भले ही न दें लेकिन उनके कोई रिप्रेजेन्टेटिव तो होने चाहिएं। वे कहेंगे कि हम इस चीज को चाहते हैं और फिर आपकी जो मेडिकल कौंसिल है वह चाहेगी तो करेगी। अगर सही मानों में आप करेंगे तो यह भी हो सकता है। वरना एक बात और है। आज जो माडर्न मेडिसिन है और जो डाक्टर्स हैं वे देहाती लोगों के पास तो जाते नहीं हैं। आज भी डाक्टर लोगों की दवा देहाती लोग नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है कि आमदनी और सुख सुविधा की दृष्टि से वह फायदेमन्द नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस रोज यह लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जायेंगे उस दिन सारे लोग उनसे पीछे दौड़ने लगेंगे। आयुर्वेद वाले उनके सामने तब टिक सकते हैं जब कम्पिटीशन कर के वह सिद्ध कर सकें कि वह भी उतने ही कार्यक्षेत्र और कामयाब वैद्य हैं जितने डाक्टर हैं।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जैसे आपने तीन कमेटियां बनाई हैं उसी तरह से इंटेग्रेटेड लोगों के लिए एक कमेटी बनाइये ताकि वह आयुर्वेदिक ढंग से उनके साथ कम्पिटीशन कर सकें।

*SHRI KAMALANATHAN (Krishnagiri) : Mr. Chairman, Sir, our Constitution stipulates that our ancient science, arts, culture and traditions are to be conserved by the concerted efforts of the Government. It is only after 23 years since the adoption of the Constitution a red letter day has dawned in the history of Indian medicine. The Indian Medicine Central Council Bill, 1970 has come up for discussion today in this House.

India, an ancient and vast country, is steeped in abject poverty with millions of people living in 7 lakhs of villages. Even after 23 years of Independence, we see the sorry spectacle that the poor people are not provided with cheap and good medical facilities. Indian Medicine alone can cater to the medical needs of the masses of our country. I hope that the provisions of this Bill, when implemented, would achieve that objective.

Though there are a number of systems of medicine in our country, we are confining ourselves today to the discussion of three systems of Indian Medicine, Ayurveda, Siddha and Unani. The Bill provides for the establishment of an integrated Central Council for the development of these three systems of Indian Medicine. This Bill has been welcomed by all sections of the House and I too welcome it and commend it.

Mr. Chairman, Sir, in the Rajya Sabha, this Bill as reported by the Joint Committee was passed without any amendment. Some votaries of Ayurveda system here are trying to create an atmosphere in this House also with a view to getting this Bill passed without any amendment. We have to ponder whether this Bill, if passed without any amendment, would be conducive in a greater degree for the development of Indian systems of medicine. The sponsors as also the supporters of this Bill are keen to have this Bill passed without any amendment. So far as I could discern, these people seem to be of the view that Ayurveda system of medicine is the only best system in the country and there is no comparable system of medicine. They also feel that Siddha and Unani systems are a composite part of Ayurveda

*The Original speech was delivered in Tamil.

system. I fear that they are fanatically bent upon destroying the Siddha and Unani systems of medicine once and for all. This was apparent from the tenor of speeches delivered today in this House.

I would appeal to the hon. Members of this House to have a broader perspective of the whole issue. Whatever may be the system of medicine, we should not desist from making invidious comparisons among the different systems of medicine. The need of the day for the progress of Indian Medicine is to establish research institutions all over the country for all the systems. Indian Medicine has suffered long neglect and we witness today the pitiable condition in which it is languishing. I hope that this Bill will provide for the necessary impetus for the rapid progress of Indian systems of medicine.

Mr. Chairman, Sir, here I would like to narrate an instance which I have come across. Under the auspices of Gujarat University two separate research institutions, one for Ayurveda and another for Siddha, are functioning. A substantial amount is being allocated for conducting researches in Ayurveda. But, lakhs of rupees allocated specifically for the Institute meant for conducting research in Siddha system, are being regularly diverted to the Ayurveda Research Institute, with the result that Siddha system is facing complete annihilation.

Siddha system of medicine is an age-old and respected system in Tamil Nadu and its efficacy has been universally accepted and acclaimed. Instead of repeating *ad na useam* that Ayurveda system is the best and superior and not any other systems of Indian Medicine, we should accept that all the systems of Indian Medicine are equally good and exert ourselves for the development of all systems simultaneously.

We come across many eminent practitioners of Indian systems of medicine. Though a number of efficacious new medical formulations are discovered by them, yet such good medicines are not given proper publicity; they are preserved as personal secrets with the consequence that they disappear with the demise of the discoverers; even the kith and kin of such practitioners are not aware of the discoveries. The names of such medicines, their ingredients and the proportions in which the ingredients go to make such a medicine must be kept in writing so that they can be available for all the people ; this is known as pharmacopoeia in English.

If this is not done, all this will go under the label of Arishta, a common name in Ayurveda. When I visited recently Nagercoil, the constituency of Shri Kamaraj, I found to my dismay that the people there had drunk Arishta. One gets intoxicated by taking this Arishta. All the intoxicants have come to be labelled as Arishta and they are being consumed by the people. In the slums of Madras city, we often see the tragedy of people dying after taking such Arishtas. I would request that the Central Government should enact a law banning the use of Arishta.

Mr. Chairman, Sir, the Central Council sought to be set up through this Bill should not become a bogus body. You just scan through the training institutions finding place in II, III and IV Schedules of the Bill. Thousands of persons come out of these institutions with a certificate in their hands and start practising as Doctors. If such quack practitioners coming out of such bogus institutions are to extend protection to the Indian systems of medicine and to work for their progress, then one can only feel sorry for the sad plight in which the systems of medicine would find themselves.

Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to your kind notice a news item under the caption "Urgent need for Ban on Quackery" which has appeared in today's issue of the *Times of India*. This news item relates to the recent death of about 25 children following the alleged administration of a wrong drug, highlighting the need for a comprehensive survey in this matter. It is reported here that in the Punjab about 90% of the registered Ayurvedic and Unani practitioners lack the requisite educational qualifications. Out of 21,457 registered under the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, only 1855 have been found to have the necessary qualifications. It is really a sorry state of affairs that they are all practising medicine because it has become a highly lucrative profession. The Punjab Ayurvedic and Unani Board registered 2010 qualified Vaids, 876

[Shri M. Kamalanathan]

qualified Hakims and 16,089 unqualified persons and granted them licence. After a thorough screening of the list later on, the names of roughly 9000 persons were removed from the register. If this process is continued, then it will lead to the closure of many training institutions from which they were declared as vaids.

I would therefore appeal to the Government that the Central Council should be established only after such a thorough screening leading to the removal of all unqualified persons practisting medicine and also the names of training institutions finding a place in the schedules of the Bill.

As pointed out by several hon. Members of this House, we would also have to pay some attention to the problems of more than 30,000 persons who have undergone training in integrated medicine. We have provided in this Bill for establishing three different Committees for the three systems of Indian Medicine. Similarly, we have to provide for the setting up of a separate Committee for integrated medicine also. Unless we do this we will not be in a position to solve the problem of persons trained and qualified in integrated medicine and in fact we will be doing a great injustice to them. All the Members of this House must realise that at present they are neither here nor there ; they are in a state of suspended animation-in Trisanghu Swarga. I appeal to the hon. Minister that he should accept the amendment suggesting a separate Committee for the inregrated medicine.

In conclusion, I would also request him that before this Central Council is set up, all the unqualified Vaids and Hakims as also the bogus training institutions should be weeded out.

With these few words, I conclude.

श्री शशि भूषण : जो बिल आया है, उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इंटेग्रेटिड ढंग से जिन्होंने अपनी शिक्षा पाई है, उनमें से बहुत से लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिन की तादाद लगभग पचास हजार होगी, उनको भी इस काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये और वह पचास प्रतिशत होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो उनके लिए एक अलग काउंसिल बनाई जाए। ऐसा नहीं किया जाता है तो उन लोगों ने जो एक्सपैरिमेंट किए हैं जो अनुभव प्राप्त किया है वह वेकार चला जायेगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : उनको एक्सक्लयूड कर रहे हैं।

श्री शशि भूषण : अगर वे शामिल हैं तो उनको पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनकी तादाद पचास हजार के करीब है। इनके अलावा डेढ़ लाख के करीब वे वैद्य हैं जिन्होंने इटेग्रेटिड ढंग से शिक्षा तो नहीं पाई है लेकिन जो वैद्य का काम कर रहे हैं जिन्होंने छः छः महीने शिक्षा पाई है या घरों में रहकर शिक्षा पाई है। उनका योगदान भी होना चाहिए काउंसिल में। कोई अगर ज्यादा काम काउंसिल में कर सकता है तो ये कर सकते हैं। आज के वक्त में अलग नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों को तीन-तीन भाषायें पढ़ाते हैं इस वास्ते कोई वजह नहीं है कि ऐसी एक काउंसिल बने जिस में भारत में जो भी प्रचलित पुरानी औषधि प्रणालियां हैं, चाहे वह आयुर्वेद हो या यूनानी हो उनको भी लोग पढ़ें और एलोपेथी के साथ-साथ पढ़ें और आयुर्वेद और यूनानी वाले एलोपेथी भी पढ़ें। यह ठीक बात है कि एक्सपर्ट लोग आप बना दें, वह बात अलग है। लेकिन आप तो जनता में आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रचलित करना चाहते हैं तो इसके वास्ते यह जरूरी है कि आधुनिक ढंग की शिक्षा आप उनको दें। कितने आयुर्वेद के आज डाक्टर हैं जो यह कह सकते हैं कि आप्रेशन के लिए हमने यह यह औजार बनाए हैं ? कोई उसकी अभी लिस्ट नहीं बनी है। कोई प्रदशन उनका आज तक नहीं हुआ है। अस्पतालों में जो आयुर्वेद हैं वहां अगर आप्रेशन होगा तो उसके लिए सारे ऐलोपेथी के साधन इस्तेमाल करते हैं। अगर इंजैक्शन भी लगाना हो

तो आयुर्वेद में उसका कोई अलग ढंग नहीं है। ऐलोपेथी ढंग के ही इंजैक्शन लगाएंगे और लगाने से पहले वही दवाई इस्तेमाल करेंगे जो ऐलोपेथी वाले करते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों को अलग-अलग करके आज के युग में चला नहीं जा सकता है। आधुनिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में इंटेग्रेशन से काम चल सकता है। अगर पुरानेपन पर चला जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि मार्क्सवादी आयुर्वेद बन सकता है। इसका तो एक ही तरीका है कि यूनानी आयुर्वेदी और ऐलोपैथी तीनों को मिलाकर आगे चलो। यह कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक आदमी डाक्टर बनने के लिए पांच साल तक ऐलोपैथी पढ़ता है। उसको अगर उसके साथ-साथ आयुर्वेद और यूनानी का ज्ञान हो जाए तो बुरी बात नहीं है। इसी तरह से आयुर्वेद और यूनानी पढ़ने वाले कुछ ऐलोपैथी का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो वैद्यों के पास ही जाते हों और उनसे ही फायदा उठाते हों। लेकिन उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। आज लोग जल्दी आराम चाहते हैं। जल्दी आराम किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है इसका आयुर्वेद में ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

आज के युग में वैज्ञानिक साधनों की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुराने सिल वट्टे से आज वैद्यक नहीं चलाया जा सकता है। आधुनिक ढंग से गोलियां तथा दवाइयां बनानी होंगी। आधुनिक मशीनरी का प्रयोग उसके लिए आपको करना पड़ेगा। पुराने ढंग से ही काम करते रहे, पांच हजार साल पहले जिस तरह से काम चलता था उसी तरह चलता रहे, यह सम्भव नहीं है। आजकल के वैद्यों को थोड़ा बहुत वैज्ञानिक होना भी जरूरी है। उनको थोड़ा बहुत साइंस का ज्ञान भी होना चाहिए। ज्यादा वे आयुर्वेद लेकिन ऐलोपेथी का ज्ञान भी उनको हो। कुछ लोग हैं जो आज आयुर्वेद का बहुत पक्ष ले रहे हैं। कुछ राज वैद्य भी हुआ करते थे। लेकिन अब वे बहुत कम हो गए हैं। प्रजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हमारे शिव शर्मा जी पर राजा महाराजाओं की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से ही वे हमारे बीच में मौजूद हैं (**इंटरप्शंज**) मैं तो जनता की कृपा से आया हूं। शर्मा जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि मैंने राजाओं को वोट दिया है। इस वास्ते मैं उनको जवाब दे रहा था। मैंने राजनीतिक बात नहीं की। राजनीतिक बात थोड़ी सी की है तो उन्होंने ही की है। वह मेरे बुजुर्ग हैं। वह कहते हैं कि डाक्टर गांवों में नहीं जाते हैं, वैद्य जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से बड़े-बड़े वैद्य हैं जो गांवों में जाते हैं। सब लोग श्री शिव शर्मा की तरह टेलेंटिड नहीं हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकते हैं जिन्होंने दो कमरों में बैठ कर पढ़ाई कर ली हो और सारे संसार में विख्यात हो गए—

श्री शिव शर्मा : बीस हजार रोगी मैं गांवों के देख चुका हूं।

श्री शशि भूषण : इनके जैसे टेलेंटिड बहुत कम देश में होंगे जिनको ऐलोपैथी का भी ज्ञान हो और आयुर्वेद का भी ज्ञान हो। लेकिन आज जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। उनको एक घेरे में बन्द करके नहीं रखा जा सकता है। सिर्फ आयुर्वेद की शिक्षा उनको दी जाएगी तो उनका विकास रुक जाएगा। आज के भौतिक-वादी युग में सब का थोड़ा बहुत दखल हो। एक में वह एक्सपर्ट हो, यह बात समझ में आती है। डेढ़ लाख जो आयुर्वेद की प्रेक्टिस करने वाले हैं उनके बारे में आप कमेटी बना कर जांच कराएं तो आप हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि उनमें से पांच हजार भी ऐसे नहीं हैं जो सही मानों में वैद्य हों। काउंसिल बनाना बहुत अच्छा है। इस

[श्री शशि भूषण]

काउंसिल के बनने के बाद सही वैद्य हो सकेंगे, सही कोड बन सकेगा। शहरों में बड़े-बड़े बोर्ड आप लगे देख सकते हैं जिनपर लिखा रहता है, बलवान बनो, ताकत की दवाई लो। ये जो लोग इस तरह की दवाइयां देते हुए घूमते फिरते हैं ये वैद्यक को भी खराब करते हैं। पता नहीं कहां से डिग्रियां ल:ते हैं। इसको रोका जाना चाहिए।

इंटेग्रैटिड ढंग से जिन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा पाई है उनको पूरी-पूरी इसमें प्रधानता मिलनी चाहिए। कम-से-कम पचास प्रतिशत स्थान उनको मिलने चाहियें। उनका ज्ञान साधारण वैद्यों से अधिक है। अगर यह सम्भव नहीं है तो उनके लिए एक अलग काउंसिल बना दी जाए।

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam) : Sir, I support this Bill. Yet, it has got its defects. Millions of people of our country are undergoing treatment in Ayurveda. To replace ayurveda by other kinds of treatment is very easy to say, but is a difficult problem to solve. As I said, ayurveda has its defects and inadequacies. It arose in the pastoral lands of Vedic ideas, at a time when there were pristine forests, fertile lands and crystal-clear waters in our rivers. The diseases at that time were such as could be met by ayurveda. But now we have got crowded cities, polluted water, congested air and cantagious diseases, which are a regular phenomenon these days. Is a kind of treatment which was there in the third or fourth century alone enough nowadays? That is a question on which we have to re-think so much. Even though it has got its own defects, we have to accept the good qualities of Ayurveda. Many hon. Members have referred to massage the treatment which our Rashtrapathi is undergoing at the Kottakkal Ayurveda Vaidya Sala. For intestinal ulcer, there are very good medicines in Ayurveda. Snake-bite could be treated better by Ayurveda than by allopathy. Fracture or displacement of limbs could also be treated by Ayurveda.

SHRI P. G. SEN : Mr. Chairman, Sir, I doubt if there is quorum.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may resume his seat. The bell is being rung.........Now there is quorum. He may continue his speech.

SHRI K. M. ABRAHAM : Even though there are some good qualities in Ayurveda, it is in a stagnant position today. After the third or fourth century there has not been even a single original thesis on Ayurveda. At that time Sankara wrote some books about Ayurveda. Since then nobody has written a single thesis about treatment in Ayurveda. We have to accept the inadequacies of Ayurveda and the good qualities of diagnosis and investigation of allopathy. When modern equipments for diagnosis and investigation of diseases are used by allopathy, why can they not be used by Ayurveda also? For instance, why can't Ayurveda adopt X-ray and injection of tinctures?

Ayurveda should do more research in medicines. There is a research institute at Lucknow. I do not known what it is doing. Tripala of Kerala has many good effects. Yet the Lucknow research institute did not care to investigate the principle underlying that. But, at the same time, Western technicians have come out investigating about *sarpagandha* We were not able to find out where *sarpagandha* is.

There is also another drawback about the names of these medicinal plants. For example, in the north it is one *somalata* and in the south it is another *somalata*. We have to find common names for all Ayurvedic medicines.

We have to adopt the diagnosis system from the allopathic system in Ayurveda.

Then, the integrated practitioners must not come in the way of Ayurveda and its treatment. It is entirely a different system of treatment like allopathy, homeopathy and Ayurveda. Why should the integrated system of medicine not be a separate thing and have a separate council also? If we are not going to give a separate council for them, we have to give them adequate

representation in this Council but it is well and good if we give a separate council for these people.

Ayurveda must be promoted. It must have research work. We have to see that it is promoted because lakhs of peple are engaged in Ayurvedic treatment as a profession. Today lakhs of people are looking to us as to what we are going to do here. Students of Ayurvedic colleges are also looking to us for some remedy for their grievances. We must pass this Bill. It is a step forward. I support this Bill.

SHRI MANGALATHUMADAM (Mavelikara) : Mr. Chairman, I congratulate the Government for introducing such a Bill in order to regulate the education and profession in Indian Medicine. The necessity of such an enactment was felt for quite a long time. Now I am convinced that the Government felt the urgency and importance to set up a Council for Indian Medicine, which is vanishing day by day because of negligence of the Government and ignorance of the practitioners who are mostly untrained quacks.

Sir, while I support this Bill, I want to mention the important role Ayurveda played in our daily life. The panchakarma Treatment the vital part of Ayurveda has made name and fame for Kerala. Most of the diseases including Orthopaedic can be cured by this particular system of treatment. Even our Honourable President Shri V. V. Giri is undergoing the treatment now. And the Honourable Minister himself has experienced the effects of it. Even then the Government did not move its little finger to encourage it. If given due publicity the Panchakarma Chikitsa would have been another foreign exchange earner. So the Government should open centres for Panchakarma Chikitsa in all the State capitals as well as prominent tourist centres in the country.

Sir, even though the Government brought forward this measure, the Bill, the condition of the qualified Ayurvedic physician is pitiable now-a-days. Now the practitioners of Indian Medicine also are facing unemployment problem. In order to prevent this, the Government should initiate the opening of primary health centres in every village. Saying paucity of funds and similar reasons the Government are hesitant to open primary health centres of modern medicine. As such, the Government can provide our rural population the cheapest and simplest medical aid by introducing Ayurvedic or similar dispensaries. This will help to propogate the Indian system of medicine also.

Sir, while stressing the above facts once again I support this Bill and hope the Rules thereof will be framed at the earliest and it will be sincerely implemented.—

Thank you, Sir.

श्री नरदेव स्नातक (हाथरस) : सभापति महोदय, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का यह विधेयक संसद में उपस्थित है। आज से दो वर्ष पहले यह विधेयक आपके सामने आया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति अपने देश के लोगों में उपयुक्त है और दो साल के लगभग हुए उसके बाद एक ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी बनाई गई जिसमें लोक सभा और राज्य सभा दोनों के मेम्बर थे। उसमें इस पर काफी विवेचन हुआ। राज्य सभा ने इसको बिना संशोधनों के सर्वसम्मति से पास किया और अब यह लोक सभा में आया है। इसकी अहमियत सबसे पहले तो यही है कि जब से वाद-विवाद शुरू हुआ मैं समझता हूं कि सारी पार्टियों के लोगों ने इसका समर्थन ही किया कि इस भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए, जो आयुर्वेद की है, इस विधेयक को पास किया जाए और हमारा देश जो अधिकतर गांवों में रहता है और जो गरीब भी है, 80 प्रतिशत जनता यहां की गरीब है उसके लिए सिवाय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के और कोई पद्धति उपयुक्त नहीं है। आप जानते हैं कि यह कोई दो चार वर्षों की पद्धति नहीं, अपितु हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है और इसकी उपयुक्तता का प्रमाण यह है कि यह आज तक जीवित है। अंग्रेजों ने भी इसको खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने एलोपेथक चलाई,

[श्री नरदेव स्नातक]

लेकिन उसके साथ-साथ भी यह आयुर्वेदिक पद्धति चलती रही। जैसा कि अभी एक मेम्बर ने कहा कि आजादी के 23-24 वर्ष बाद भी हम इस पद्धति के विकास के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कर सके हैं। लेकिन यह ठीक है कि दिन भर का भूला भटका शाम को भी घर आ जाए तो वह भूला भटका नहीं कहा जाता है। मैं मंत्री महोदय का और इस मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं कि इस चीज को जिसे उन्हें 23 वर्ष पहले रखना चाहिए था आज भी ले आए। देशी चिकित्सा पद्धति के अन्दर चार पद्धतियां सम्मिलित हैं—आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्ध। इन चारों में आयुर्वेद का इस्तेमाल ज्यादा है और देश में इसका प्रचार भी ज्यादा है। अभी एक मित्र ने कहा कि हमारी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके लिए कोई पैसा वह नहीं दे रही है। अब जब यह विधेयक पास हो जाएगा और बोर्ड बन जायेगा उस वक्त सरकार कुछ करेगी। मैं समझता हूं कि पंच-वर्षीय योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए सरकार ने कुछ पैसा रखा है लेकिन वास्तव में वह पैसा इतना अपर्याप्त है कि उससे हम अपने देश के स्वास्थ्य को ठीक तरह रख नहीं सकते। यह ठीक है कि हमारे कुछ ऐसे भी वैद्य और डाक्टर हैं कि जो इंटीग्रेटेड हैं। उनकी संख्या 40 हजार के लगभग है। अभी कंवर लाल जी ने कहा कि इनके लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाय जैसे कि होम्योपैथिक के लिए बनाया जा रहा है या आयुर्वेदिक के लिए बनाया जा रहा है। उनका कहना कुछ अंशों में ठीक है और राज्य सभा के सदस्यों ने भी निवेदन किया है कि इस पद्धति के प्रचार और प्रसार के साथ-साथ वह जो डाक्टर और वैद्य हैं जिन्होंने कि मिश्रित प्रणाली से ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों की सम्मिलित शिक्षा प्राप्त की है और अपनी चिकित्सा कर रहे हैं उनको भी भूलना नहीं चाहिए। राज्य सभा ने भी इसको माना है और राज्य सभा के सदस्यों ने इस बात को कहा है कि इनको भी भूलना नहीं है। इन लोगों का भी प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इनका अलग से बोर्ड बनाया जाय, मैं समझता हूं कि अलग से बोर्ड बनाने को अपेक्षा यदि उनके प्रतिनिधियों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिल जाय तो उनका उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

आयुर्वेदिक चिकित्सा के सम्बन्ध में प्रचलित है कि यह पद्धति बहुत अच्छी है, यह विज्ञान बहुत पुराना है, सस्ता है, कम पैसे में कम समय में रोगों को समाप्त कर देता है, परन्तु उसके साथ-साथ एक बात जो, कही जाती है वह यह है कि जिस वक्त वैद्यराज या कविराज रोग का निदान करते हैं, निदान कर लिया, ठीक है, लेकिन जब निदान के बाद औषधि लिखते हैं कि अमुक औषधि दी जाय तो उस औषधि के सम्बन्ध में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। वह जो औषधि बनती है वह वास्तव में ठीक नहीं बनती है। जिस अनुपात में जो जड़ी-बूटी या सोना-मोती इत्यादि और रसादि उसमें पड़ते हैं उनका अनुपात ठीक नहीं होता। एक तो अनुपात ठीक नहीं होता और दूसरे दवाएं नकली होती हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वह औषधि जिस रूप में निश्चित की गई उस रूप में लाकर देता है तो उससे लाभ होने के बजाय हानि होती है और उसका परिणाम यह है कि लोगों के अन्दर एक धारणा पैदा हो गई कि यह पद्धति जो हजारों वर्ष पुरानी है इससे काम नहीं चल सकता जब कि यह पद्धति इतनी अच्छी है कि इसको इस देश में ही नहीं, लंका, नेपाल और बर्मा सभी इसको मानने लगे हैं और हमारे मिडिल ईस्ट के जितने राष्ट्र हैं इस चिकित्सा प्रणाली को अपनाने की तरफ उनका भी ध्यान गया है और हमारे हिन्दुस्तान के

जो बड़े-बड़े कविराज और वैद्य हैं उनको वहां बुलाया जा रहा है। वह चाहते हैं कि इतनी सस्ती और सरल चिकित्सा प्रणाली उनके देश में भी प्रचलित हो। दुर्भाग्य से उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि काफी वर्षों से अनेकों मंत्री इस मंत्रालय में आए और किसी ने कुछ किसी ने कुछ कह कर इसकी उपेक्षा की, किसी न किसी तरीके से वह जनता को और संसद के सदस्यों को बहकाते रहे। उनकी भी कुछ असुविधाएं ही होंगी जिससे वह उसको पूरी तरह से कार्य रूप में परिणत नहीं कर सके। लेकिन अब सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया है। मेरा निवेदन है कि जब बोर्ड बने तो जैसा कि श्री कंवर लाल गुप्त जी ने कहा था इंटीग्रेटिड जो वैद्य हैं, कविराज हैं, उनका भी ध्यान रखा जाय। एक बात यह है कि वैद्य या कविराज हैं वह अपने नाम के साथ अमुक डाक्टर इस तरह से लिखते हैं। मैंने पूछा कि डाक्टर लिखने की आपको क्या आवश्यकता है तो वह बोले कि डाक्टर लिखने से इज्जत भी बढ़ती है और पैसा भी मिलता है और कविराज या वैद्य लिखने से न कोई मेरे पास आता है न चिकित्सा कराता है। वह अपनी आयुर्वेदिक उपाधियों को अंग्रेजी में जैसे एम० बी० बी० एस० लिखते हैं, इस तरह से अंग्रेजी अक्षरों में लिखते हैं। उससे वह कहते हैं कि वह ज्यादा योग्य समझे जाते हैं और पैसा भी ज्यादा कमा लेते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि उनको अपनी आयुर्वेद की उपाधि ही लिखनी चाहिए, इससे उनका भी भला होगा और इस प्रणाली की भी इज्जत बढ़ेगी। आज सरकार भी यह चाहती है कि इस प्रणाली का विकास हो क्योंकि यह देश गरीब है और इस सस्ती प्रणाली के द्वारा हम अपने देश के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं तो क्यों नहीं वह कविराज, वैद्य और डाक्टर गांवों में भी जाएं ? अन्त में मैं मंत्री महोदय को और इस मंत्रालय को पुनः इस आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए जो बोर्ड बनाने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। परन्तु मैं यह जरूर चाहूंगा कि आप इसी सेशन में इसको पास कर दें, इसको पहले ही काफी देर हो गई, वरना यह खटाई में पड़ जायेगा, फिर अगले सेशन में कहेंगे कि जनरल इलैक्शन आने वाले हैं, अगली सरकार करेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसे अगले सेशन पर न छोड़ा जाय, इसी सेशन में सर्व सम्मति से पास करें। जिन्होंने अमेंडमेंट्स दी हैं, जैसे श्री कंवर लाल गुप्ता जी ने कहा कि हम इस का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, वास्तव में उन्होंने समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि बगैर संशोधन के इस बिल को पास कर देना अच्छा नहीं हैं, वह अपोजीशन के हैं, जनसंघ के हैं, उनका ऐसा कहना ठीक है, लेकिन इस बिल को काफी विरोधी दलों ने पूरा समर्थन दिया है, सभी चाहते हैं कि इसी सेशन में पास हो जाय, इस लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसी सेशन में पास करें और पंच-वर्षीय योजना में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए जो पैसा दिया गया है, उसको ज्यादा बढ़ायें।

17 hrs.

*SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Chairman, Sir, the Bill that is before us today is a very good and important one. Many people in our country do not know the antiquity of the Ayurveda. Most of them are under the misapprehension that the Ayurveda is of recent origin, that the Ayurveda physicians do not know anything about surgery or the advanced techniques of treatment. In the Rig Veda there is an instance of fitting an artificial leg to a lady, Vishphala by name. When Indra lost his genital organ, the Vaidyas grafted genital organ of a ram on Indra's body and cured him of the defi-

*The original speech was delivered in Telugu.

[Shri Tenneti Viswanatham]

ciency. In the case of Bhoja Maharaja there is an instance of brain surgery, where they sprinkled Churnam (a medicinal powder) as an anaesthesic and ripped opened the Cephalic region for removing a tadpole from the brain. After the advent of the British rule in this country the whole science went into oblivion. It happened in the same way as the English language came up and the Sanskrit language went down. Now, the English language is very much advanced and the Sanskrit language is old ; suppose you try to bring about an integration of these languages. Is it possible ? If such integration in these two languages is not possible, I submit that it would be equally impossible to bring about an integration of the Ayurveda and Allopathy. Both may be good but there can be no such thing as integration. This new integrated system of medicine which has come about defies classification. The beginning of this integration was made in composite Madras State as stated by Prof. Ranga earlier. The person responsible was the then first Indian Chief Minister. In spite of his efforts and enthusiasm for the Ayurveda, the then officers did not implement his ideas and instead founded a school called the School of Indian Medicine. Even as the taste of the sea-water does not change after the confluence of Ganga with sea, it is impossible to bring about integration between the systems of the Ayurveda and A''o>athy. This is not the opinion of a lay-man like me. Even a previous speaker, Dr. G. S. Melkote, who is an allopathic practitioner, has clearly brought out this point. I do not have time to go into details. My submission is that the Ayurveda is Ayurveda and it cannot be integrated with any other system of medicine, because the scientific basis for systems like Homoeopathy and Allopathy is completely different. If one has some knowledge of Charaka and Susruta and of the Gray's anatomy and Huxley's physiology, it would be clear that they are poles apart in their basic principles and approach. Some friend mentioned about a thermometer in his speech. It is not possible to identify Kaphavaatha, or Pitta with the help of a thermometer. It is not possible to read from a thermometer what you can read from the pulse. If one tries to bring about integration by applying both the principles of the Ayurveda and Allopathy at the same time, it is like clothing a man in a sari. Here he is neither a doctor nor a Vaidya. To me the real quacks are those people who propagate such integration.

As stated by friends earlier, there are thousands of people who tried to follow these two systems in their practice of medicine. They are neither here nor there. There is a misapprehension that this Bill would harm the interests of such people. It is not so. Sufficient protection has been provided for them in this Bill. All of them would be registered. Not only that, this Bill would help such people to gain an upper hand. If you look into clause 17 of this Bill it is clear that all those people who are equipped with the degrees mentioned in the first two schedules are qualified. I know all those graduates who graduated out of this Government College of Integrated Medicines would be benefited. You think that you are doing a great service to the Ayurvedic system. I submit for the information of those people who say that there is no integrated system of medicine that the various colleges which you have in Ayurveda in the vaiious States are being staffed by these graduates of the Integrated Medicine. For example, it is stated in this Bill that the degrees awarded by the Board of Indian Medicine Hyderabad, Andhra Pradesh, Andhra Ayurveda Parishad, Vijaywada, Shri Venkateshwara Ayurveda, Kalasala would be recognised. The Principal of College in Hyderabad is a gentleman who passed this course of integrated medicine in Madras. I submit that if these graduates from these colleges of integrated medicine apply themselves they would be at an advantage.

A Special Committee is not required. If a Special Committee is created it would bring difficulties. How long will this integrated system of medicine continue ? You have given powers to the Central Council to reguiate the courses in these Ayurvedic medical institutions and they would soon do away with integrated medicine at their earliest. That apart, even now there is a provision in the Andhra Pradesh and Madras State for registration of the G.C.I.M. as mentioned by Dr. G.S. Melkote. There is no restriction for registration of doctors

in which ever system one is interested. Therefore, it is not necessary to have a Special Sub-Committee for the protection of this integrated system. Enough protection is provided in this Bill as well as the Indian Medical Council Act. There is no difficulty on that score.

Our effort should be in the direction of bringing about progress and development in the field of Shuddha Ayurveda. Many people say that in Ayurveda there in no research. It was not possible because as long as the British were ruling us, no facilities were given for research in Ayurveda or in Sanskrit or in Vedas. It is only after Independence that facilities are being given for such research. Now we are referring back to authorities in Vedas, Shastras and other allied branches of knowledge in Sanskrit language. Whenever there is governmental patronage the system would come up. In various States the Directors of Medical Services are there. Under them we have Directors of Medical Services for the Ayurveda. As the proposals have to go through the Director Medical Services as the apex of the organisation, if proper care and encouragement is not given, then there would not be any progress.

I remember in Hyderabad State a special officer for Ayurveda was appointed. When we tried to find out as to who was this special officer, we came to know that he was a Deputy Collector. Because of such short sighted actions research could not be done. Now, I hope that this drawback would be rectified by the creation of this Central Council for Ayurveda.

Because there is scope now for the development of the Ayurveda there should be regular programme of research in the system. During the British days, the Ayurveda was neglected and even now if you treat the system as a poor relation is treated, you cannot develop the system at all. Expending one rupee on this system as opposed to hundred rupees on allopathic system will not give result. Therefore, you should increase the allocation of funds for the Indian system. When you spend hundred rupees on the allopathic system you must be prepared to spend at least 50 rupees on the Indian system. In Hyderabad there is an Ayurvedic hospital with only 50 beds whereas in the Osmania hospital there are 1300 beds. If you do not have necessary clinical equipment and material how can you develop this system. So the most important factor which was and is responsible for the suppression of the system is the paucity of funds. The Minister therefore should give urgent and serious consideration to this aspect and persuade the Ministry of Finance to allocate more funds for the indigenous system. These systems—Ayurveda, *Siddha*, *Unani* and other discipline should be given at least 50 per cent of the grants *vis-a-vis* the allopathic system. You must build more hospitals and equip them properly ; then only these systems will progress. This will not cost much because the basic ingredients of these medicines are freely available in our country and all our physical system is well adjusted to these medicines since the time immemorial. The herbs are peculiar to each region and the people as well as the animals of that particular region have built up their health on these herbs. That is why without knowing this basic fact when the foreigners had isolated the basic element of *Sarpagandha* there were side effects when this drug was administered. Since this is grown in a particular region, it is only as a result of isolation of a particular active principle of this *Sarpagandha* root the side-effects have become evident. Even the Americans have now realised this and are trying to administer the drug without isolating the active principle of this root. As I said, the main stumbling block in the way of development of Ayurveda is paucity of funds. If Mr. Shah and Mr. Murthy are content with compliments of the Members of this House for having passed this Act, then there is not much hope for the development of Indian systems of medicines. Many complaints will be received subsequently regarding the non-development of this system if follow-np action is not taken. Money is the most important factor. At various places in the country you must establish herbaria. In Andhra Pradesh, Srisailam area is well-known as a treasure-house of numerous herbs next only do the Himalayan regions. Unfortunately, the Government of Andhra have not acceded to the humble demand for a plot of 200 acres for establishing a herbarium there. Herbari at various places in the country are an imperative need if the herbs and their

[Shri Tenneti Viswanatham]

curative powers are to be established through research for the development of the Indian medicine. You should encourage the growth of these herbs, and encourage research as also the research scholars. Money should not become a problem for this development. We have won 'Swaraj' 23 years ago and I consider that Ayurveda has now won "Swaraj" on passing this Bill. The people of our country will be beholden to you for this emanicipation of Ayurveda. I congratulate the Government, particularly the Minister, on having brought up this Bill.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : Mr. Chairman, I rise to suport this Bill which seeks to standardise and regulate the training, education and practice of ayurveda, unani siddha etc. I am glad that the Bill has at last come before this house. I have had the honour to be associated with it when we started framing it and some kind of a draft was prepared towards the latter part of the Third Lok Sabha, 1965 or 1966 or near about. The fact that it has taken five years or more to come before this House shows the anxiety of the Government to make it as acceptable as possible to all sections without losing its central objective of standardising the education and training programme and regulating the practice of these systems. The Bill is welcome and I share the feeling of some of our colleagues who expressed anxiety for its early passage. I hope it will not only be passed but put into operation also without dealy because there is urgent need for standardising the training of those who deal with life and death be it any system under which they practice.

I support the plea of Shri Shiv Sharma and Dr. Melkote and accept their statement that the integrated system of medical education did not serve the purpose for which it was originally started. I had that experience when I brought an Ayurveda graduate from Poona to Sewagram in the hope that we could have some research in Ayurveda but he prescribed nothing but modern medicine by and large. Later on I saw the same thing repeated in many other places. It is also true that the vast majority of graduates who come out of these schools wish to become doctors and do not practise ayurveda or practise very little of it. It was in the light of this experience that we set up a committee to work out a syllabus for sudha ayurveda training. Start was made in that direction soon after I had the honour to take over as Health Minister in 1962. Several institutions have come up. A Shudha Ayurveda Committee of which Pandit Shiv Sharma was a distinguished member and Shri Mohanlal of Gujarat was the chairman did very commendable work. But I am sure that a statutory council will go much further than this committee could go, although as I said earlier they did very good job. I also agree with the hon. Members who made the plea that while having sudha ayurveda training for the future, the graduates who have come out of the integrated schools must be protected and their interests must be safeguarded. It was not their fault that they had this training. We started these schools and they went to them the least that can be done is to have another committee along with the three that we have proposed in this Bill. I should like to ask the Minister even at this stage to introduce also a fifth one for naturopathy. It is also a very important system which is in vogue and which has great value in our country. I an not asking for a separate Council for the integrated system. I am not asking for reservation of 50 per cent or 80 per cent seats in the Council for these people, has been asked for by some hon. members. But I do feel that so long as some of these institutions are there, so long as these people feel insecure—there is good reason for them to feel insecure—there should be a separate committee for them. Shri Shlv Sharma said, they are neither fish nor fowl. This kind of statement has been made by many people in many places, on many platforms, and they feel frightened that if they do not have a separate committee they do not know what will be their future. They have come to many of us, Members of Parliament, in many places, and they say that "the least that you can do for us is to see that there is a separate Committee to safeguard our interests." I do not think that this amendment can be considered objectionable. It need not result in delaying the passage of this Bill. It can be passed here today and before the end of the week, it can be accepted by the Rajya Sabha. It is minor thing, and it will give great relief to 50,000 or more people, those young people who came to see us; they claim that they are 100,000. I do not know what is the exact number. Be that as it may, I think it

will be a step in the right direction.

I entirely agree that there are very able and eminent Vidyas who have not gone through any standard training school in Ayurveda. In fact, this system of apprenticeship was used all over the world in early days. I would request the hon. Minister to give his attention to my speech. If Pandit Shiv Sharma will be so kind not to brief the Minister while I am speaking, I shall be most grateful. The Minister might be briefed a little later, because I would like to invite the attention of both of them to my speech, for what it may be worth.

I entirely agree that there are some very, very eminent people like Pandit Shiv Sharma, for instance, who may not have gone through any standard training courses in elaborate institutions. This was the very system of apprenticeship which was used in modern medicine also. But as time passed and as the number of trainers increased, it was not possible for the masters to train all the apprentices and a regular training course to be instituted. And the time has come when the same thing has to be done for Ayurveda also. This proposed Council is an attempt in the right direction.

I also agree with several other hon. Members who have made a plea that modern scientific developments cannot be ignored by anybody, least of all by those who are going to deal with life and death, with the human system, with human health and human welfare.

Therefore, it is necessary that the basic education of the students going in for the training in Ayurveda should be such that they will be in a position to make use of those scientific developments and scientific methodology. Let us not say that what our ancients knew was all in all and that nothing further can be learnt, no more knowledge can be acquired. If developments in modern science had taken place in India, for instance, then modern medicine would have been based on Ayurveda, and it would have been a richer medicine. But, as things happened, it was based on Humeral medicine, somewhere in the Middle East and Europe, and so some of the rich heritage of India was left out which we have in Ayurveda. I would like to plead with some of my hon. friends who impute motives to others and claim that they and they alone are friends of Ayurveda and are patriotic and other people are not as anxious to utilise and to take credit for the knowledge of Ayurveda which our forefathers and our ancients had discovered. We all want that. But we also want that what our forefathers have discovered should also be taken advantage of and be enriched by the modern developments and benefit the human race. This was the attempt with which those of our friends who started the integrated system were motivated. May be their experiment misfired. I hope the new experiment that is being tried in the form of Shudha Ayurveda will do better, but let us not think that they were all conspiring in some way to kill Ayurved.

I am quite convinced that the first Health Minister, Rajkumari Amrit Kaur, was honest and sincere in her belief that Ayurved could be served best by giving training in Ayurved at the post-graduate level to the graduates of modern medicine and at the same time, several vaidyas and doctors like Dr. Gilder worked out the training which is called today integrated medicine. As things happened, it was not called integrated system at the start. It was Ayurved, but they thought, if you teach them anatomy, physiology and basic sciences, they will understand Ayurved better. The experience might have been different. Let us hope the new approach being tried in *Sudha* Ayurved will succeed better in giving knowledge of Ayurveda as well as modern scientific developments, so that the benefits of both might serve the people better.

The second Health Minister, Shri Karmarkar, also tried his best to serve ayurved as best as he could. Rajkumari Amrit Kaur had set up a special Ayurveda institute at Jamnanagar. Shri Karmarkar set up a council for research in ayurved. A syllabus of integrated system was also worked out. At that time they felt that by having a standard syllabus, they would be able to integrate these graduates in the health services and they would be something like licenciates of old. When I took over in 1962, I saw the force in plea of some of our friends that the integrated system had not succeeded, and so the *Sudha* ayrurved syllabus was worked out and taught, so that today we have thi council in front of us to standardise and to see that the best is

[Dr. Sushila Nayar]

given to the people. Brilliant people may be able to come up in any system anywhere in the world. In India too we have had such people, but the average student does need tools to learn, institutions, patients, hospitals and various other helps that are necessary. I am quite certain that the graduates of *Sudha* ayurved also are going to make use of the microscope, injections, x-ray, electrocardiogram, etc. I know Pandit Shiv Sharma himself uses these aids and there is no reason to think that others will not be using them. Therefore, I plead : Let this Bill be passed, but let it safeguard the interests of thousands and thousands of people practising the integrated system. Also, let us not forget naturopathy. It is necessary for us to think in terms of the human system as one system and try to give what is best that is available for the cure of disorder of that system.

I wish to say that ultimately the integration will have to come at the administrative level, not at the training level. I have seen in China that certain sets of diseases are being treated by traditional vaidyas and at other levels there are district hospitals, teaching institutions, etc. Something of that type will have to be brought about ultimately to make use of what we have for the betterment and better service of the millions of our people.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Sir, regarding this Indian Medicine Central Council Bill, certain amendments have been given. Some leaders of the opposition were good enough to talk to the minister. We would like to have some time to consider this matter. I suggest this may be postponed to some other date.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I support it.

MR. CHAIRMAN : I take it that the discussion on this Bill is adjourned to another date.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

श्री बेणी शंकर शर्मा (बंका) : इसको कब लाया जाएगा ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : In this session.

SHRI BENI SHANKER SHARMA : Sir, I would like you to fix a date for the purpose.

MR. CHAIRMAN : It cannot be decided like that in the House. The Government will decide a date in consultation with the Business Advisory Committee.

SHRI RAGHU RAMAIAH : I will be frank to the House because there is nothing hide. As soon as the Supplementary Demands and the Demands for Grants of the Railways are passed we will take this up.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : अभी बताया गया है कि संशोधनों पर सरकार विचार करना चाहती है, इस वास्ते वह इसको पोस्टपोन करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस आधार पर इसको पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे-जैसे संशोधन आते जाएं आप विचार करते जाएं और उनको स्वीकार करते जाएं। लेकिन ऐसा न करके आप स्वयं संशोधन पेश करना चाहते हैं और जो क्रेडिट दूसरों को मिलना चाहिए वह आप लेना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। यह आपकी पुरानी आदत है।

MR. CHAIRMAN : Let us not waste time on this. The position is very clear.

17.31 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
FIFTY-FOURTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : I beg to present the Fifty-fourth Report of the Business Advisory Committee.